अध्याय : अष्ठम

शोधकार्य की उपलब्धियां, सारांश एवं भावी शोध हेतु सुझाव

8.0 मेवाड़ राज्य की भौगोलिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि –

प्राचीन समय में मेवाड़ क्षेत्र भिन्न–भिन्न समय में अलग–अलग नामों से जाना जाता है। ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के आस–पास इसे शिविजनपद कहा जाता था। आठवीं–दसवीं शताब्दी से वाग्वट्, मेदपाट और मेवाड़ नामक तीन नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। किन्तु मेवाड़ नामक नाम सर्वाधिक प्रचलित रहा है। 19वीं शताब्दी से इस प्रदेश को उदयपुर राज्य भी कहा जाने लगा था। यदि यही मेवाड़ क्षेत्र वर्तमान समय में भारतीय गणतन्त्र के राजस्थान राज्य का उदयपुर संभाग कहलाता है एवं संभाग में सम्मिलित निम्नलिखित जिले हैं – यथा उदयपुर, चित्तौड़ तथा भीलवाड़ा प्राचीन मेवाड़ राज्य के मुख्य भाग थे। शेष दो जिले डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र की भौगोलिक सीमा में नहीं आते।

राणा अमरसिंह प्रथम के समय में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी कि मेवाड़ केवल चावण्ड के पहाड़ी प्रदेश तक सीमित रह गया। किन्तु राणा संग्राम सिंह द्वितीय (1717–1734 ई.) तक मेवाड़ की सीमा पूर्ण बढ़ती रही। इस समय में मेवाड़ राज्य उत्तर–पूर्व में देवली, उत्तर में नसीराबाद के पास तक, पश्चिम–उत्तर तथा पश्चिम में जोधपुर, सिरोही, पश्चिम–दक्षिण में ईडर राज्य के कुछ भाग, दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ राज्य, दक्षिण–पूर्व और दक्षिण में भानपुरा, बुंदी, कोटा तथा उत्तर–पूर्व में जयपुर राज्य की सीमा तक फैला हुआ था। किन्तु 18वीं सदी के पूर्वार्द्ध से मेवाड़ पर मराठों के अतिक्रमण, चौथ तथा सहायता के बदले में प्रदेश के कई गांव एवं परगने अन्य राजपूत शासकों व मराठा

सरदारों द्वारा अधिकृत कर लिए जाने के कारण परिस्थिति पुनः परिवर्तित होने लगी। इस दबाव के परिणामतः घनघौर वन के साथ ही प्रदेश को भूमि की हानि उठानी पड़ी। इसका विवरण निम्न प्रकार से प्राप्त है –

क) राणा जगत सिंह द्वितीय (1734–1751 ई.) के राज्यकाल में राज्य के पूर्वी–पश्चिमी भाग में स्थित रामपुरा का परगना जयपुर शासक सवाई माधवसिंह प्रथम ने मल्हार राव होल्कर को दे दिया था। यह परगना राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 1729 ई. में माधवसिंह को जागीर के रूप में दिया था। किन्तु जयपुर के उत्तराधिकार युद्ध में होल्कर की सामरिक सहायता के बदले में 8,56,985 रू. वार्षिक आय वाला यह परगना जिसका निश्चित क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है।

ख) राणा जगतसिंह के पौत्र राणा राजसिंह द्वितीय (1754–1761 ई.) ने चम्बल नदी के निकट स्थित वनखेड़ा, वारड़ा, हिंगलाजगढ़, जामुनिया और बुहड़ 60 लाख रूपया वार्षिक उपज वाले परगने होल्कर के रहन रखे थे। किन्तु पूर्ण राशि चुकता नहीं होने के कारण 1763 ई. में होल्कर द्वारा इन पर स्थायी अधिकार कर लिया गया। इन परगनों का कृषि उत्पादन की दृष्टि से आर्थिक महत्व था। मेवाड़ राज्य को इन परगनों के चले जाने से भूमि के साथ–साथ आर्थिक लाभ से भी वंचित होना पड़ा था।

ग) राणा अरिसिंह (1761–1773 ई.) का शासन काल मेवाड़ में गृह युद्ध तथा जागीरदार – विद्रोह का युग रहा था। राणा ने अपना पक्ष प्रबल करने के लिए कोटा के मुसाहिब झाला जालिम सिंह को चिताखेड़ी की जागीर तथा जोधपुर के शासक महाराणा विजय सिंह को राज्य के उत्तर–पश्चिम में स्थित 80 लाख रूपया वार्षिक

उत्पादन का गोरवाड़ा परगना जागीर में प्रदान किया था। जो कभी मेवाड़ में पुनः सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

घ) राणा हम्मीर सिंह के शासन काल (1773–1778 ई.) में माधव राव सिन्धिया ने 1774 ई. में 13,725 रू. वार्षिक उत्पादन के 48 गांव बेंगू जागीर से, 31,451 रू. वार्षिक उत्पादन के 36 गांव, सिंगोली परगने से तथा 3,651 रू. वार्षिक उत्पादन के 18 गांव, भीचोर परगने से लिए थे। इसी प्रकार अहिल्या बाई होल्कर ने भी इसी काल में 10,000 रू. वार्षिक आय वाले 29 गांवों के मोरवण तथा नन्दवास नामक दो परगने के साथ निम्बाहेड़ा को चौथ की बकाया राशि के बदले में स्थाई रूप से अधिकृत कर लिया था।

ड) राणा भीमसिंह के राज्य काल (1778–1828 ई.) में सिन्धिया ने फौज खर्च के बदले राज्य के दक्षिणी–पूर्व में जावद व जीरण नामक क्षेत्र 1788 ई. में और 1800 ई. में अपनी स्व. पत्नि गंगा बाई की छतरी बनाने तथा उसकी व्यवस्था व्यय के बदले में 10 गांव वाला गंगापुर का परगना अपने ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत ले लिया था। इस प्रकार फौज खर्च के बदले में झाला जालिम सिंह द्वारा 1802 ई. में जहाजपुर का परगना मेवाड़ से अलग कर दिया गया था जो कि ब्रिटिश–मेवाड़ संधि के पश्चात् तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट कर्नल टॉड ने 1819 ई. में पुनः मेवाड़ को दिलवाया था।

च) राणा स्वरूप सिंह के शासन (1842–1861 ई.) काल में राज्य की उत्तरी सीमा में रहने वाली मेर और मीणा नामक उपद्रवी जातियों की व्यवस्था और सैनिक छावनी की आवश्यकता हेतु अंग्रेज सरकार

ने मेवाड़ का मेरवाड़ा क्षेत्र स्थाई रूप में अजमेर रेजिडेन्सी के अधीन कर दिया था।

1845 ई. में मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र को अजमेर में मिलाने के पश्चात् मेवाड़ राज्य की सीमा 23.49 से 25.28 उत्तर अक्षांश और 73.1 से 75.49 पूर्व देशान्तर के मध्य फंसी हुई थी। इसका क्षेत्रफल 12,691 वर्गमील अथवा 20,304 वर्ग किलोमीटर था। इस परिधि के उत्तर में अजमेर – मेरवाड़ा व शाहपुरा (फूलिया), पश्चिम में जोधपुर व सिरोही, दक्षिण – पश्चिम में ईडर, दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ राज्य, पूर्व में नीमच, निम्बाहेड़ा तथा कोटा बूंदी राज्य, उत्तर–पूर्व में जयपुर राज्य की सीमाओं से लगी हुई थी। राज्य के 10 गांवों का गंगापुर परगने का भू–भाग सिन्धिया के ग्वालियर राज्य में और 29 गांवों का नन्दवास परगने का क्षेत्र होल्कर के इन्दौर राज्य में स्थित था।

8.1 मेवाड़–महाराणा का सामन्तों से सम्बन्ध –

मेवाड़ के इतिहास में प्रारम्भ से ही सामन्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समय–समय पर महाराणाओं द्वारा उन्हें जागीरें दी जाती थी तथा उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे युद्ध के समय अपने सैन्य दलों के साथ महाराणा को सहयोग प्रदान करें। महाराणा अमरसिंह द्वितीय (1698–1710) ने जागीरों के वार्षिक राजस्व के आधार पर सामन्तों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। प्रथम श्रेणी के सामन्त 'सोहल' कहलाते थे, द्वितीय श्रेणी के 'बत्तीसा' तथा तृतीय श्रेणी में 'गोल' के सरदार सम्मिलित थे। शनैः शनैः सामन्तों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी होती रही और महाराणा फतहसिंह के काल तक पहुँचते–पहुँचते प्रथम श्रेणी के सामन्तों की संख्या 16 से बढ़कर 27 हो गई; वहीं द्वितीय

श्रेणी के सामन्तों की संख्या 32 से घटकर 31 रह गई। 'गोल' के सामन्तों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, परन्तु इनकी संख्या भी समय–समय पर बढ़ती ही रही।

वैसे तो महाराणा और सामन्तों के सम्बन्ध स्वामी और सेवक के थे, परन्तु महाराणा राजसिंह (1653–1680) के पश्चात् मेवाड़ में दुर्बल शासकों का युग प्रारम्भ हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के सामन्त स्वेच्छाचारी बन गये और प्रायः महाराणाओं की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी से 1818 की सन्धि के पश्चात् भी सामन्तों के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। कर्नल जेम्स टॉड ने सामन्तों से महाराणा के सम्बन्ध सुधारने के लिए अथक प्रयास किए जिससे 4 मई 1818 में महाराणा भीमसिंह (1778–1818) के राज्य काल में प्रथम कौलनामे पर सामन्तों के हस्ताक्षर करवाए। महाराणा स्वरूपसिंह के समय में महाराणा और सामन्तों के बीच विवाद मिटाने के लिए ब्रिटिश सरकार की आज्ञा से तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट जॉर्ज लॉरेन्स ने पुराने कौलनामे के आधार पर 1854 में 30 शर्तों का एक नया कौलनामा तैयार किया। परन्तु इस कौलनामे से भी सामन्त सन्तुष्ट नहीं हुए। जिससे ब्रिटिश सरकार ने उसे रद्द कर दिया। महाराणा शम्भूसिंह और सज्जनसिंह ने सामन्तों के साथ उदारतापूर्ण सम्बन्धों की स्थापना की। महाराणा सज्जनसिंह ने तो 1878 में सामन्तों की इच्छानुसार उनके साथ कलम–बन्दी भी की।

महाराणा फतहसिंह के सिंहासनारूढ़ होते ही उसके और सामन्तों के सम्बन्धों में पुनः परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। उन्होंने अपने पूर्व के

महाराणाओं की समन्वय की नीति को परिवर्तित कर दिया यहां तक कि ठिकानों के छोटे–मोटे मामलों में भी अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। प्रथम श्रेणी के सामन्तों को जो अधिकार और कर्त्तव्य उनके ठिकानों में थे, तथा जिनमें महाराणा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे उनको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सामन्तों के छटून्द–चाकरी, नजराना–शुल्क, तलवार–बन्दी, राजदरबार में शिष्टाचार, दीवानी, फौजदारी–मुकदमे, उत्तराधिकारी के मामले आदि में सदैव मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिनमें महाराणा प्रायः स्वयं के निर्णय को प्राथमिकता दिलवाने का प्रयास करते थे।

फलतः महाराणा और सामन्त दोनों ही 1878 की कलमबन्दी की शर्तों की उल्लंघन करने लगे, कई सामन्त महाराणा के आदेशों की अवज्ञा करने लगे यहाँ तक कि उन्होंने दशहरा और अन्य त्यौहारों के अवसर पर उदयपुर जाकर महाराणा की चाकरी करना और नजराना देना भी बन्द कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में महाराणा ने दृढ़ रख अपनाया तथा सामन्तों को अपने नियन्त्रण में करने और उनको दबाने की नीति अपनाई जिससे उनकी प्रभुता बनी रहे। इससे सामन्तों का धैर्य टूट गया और उन्होंने अपनी सम्पूर्ण शिकायतों को 53 परिच्छेद में विभाजित कर 1898 में एक ज्ञापन के रूप में महाराणा को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् 1899 में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के समक्ष भी इसी प्रकार का ज्ञापन पेश किया गया। उस ज्ञापन की निम्नांकित मुख्य बातें थीं –

ठिकानों के दिवानी और फौजदारी अधिकारों में महाराणा का हस्तक्षेप, सीमा विवादों को निपटाने में अनियमितता, पूर्व महाराणाओं द्वारा सामन्तों को दिये गये सम्मान सूचक चिन्हों का प्रयोग न करने देना, सामन्तों की समस्याओं का निराकरण महकमाखास द्वारा जानबूझ कर देर

से करना, 'नजराना' और 'तलवारबन्दी' शुल्क और अधिक मात्रा में लिया जाना, पट्टों के नवीनीकरण की समस्या, लगान, सिंचाई, सेना, शिकार, नमक, चूंगी, व्यापार आदि पर कर लगाना, नमक का मुआवजा समय पर प्राप्त नहीं होना, जागीरों में अल्पायु उत्तराधिकारी के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप, महाराणा जो ऋण मांगते थे उसका भुगतान करने पर भी समस्या का समाधान नहीं, दशहरा और अन्य अवसरों पर चाकरी की समस्या, राजकीय कार्यों में सामन्तों से विचार विमर्श नहीं करना, 1878 की कलमबन्दी की शर्तों का उल्लंघन, सामन्तों के परम्परागत अधिकारों पर कुठाराघात और महाराणा सज्जनसिंह द्वारा निर्मित सामन्तों की समिति आमन्त्रित नहीं करना आदि।

यह स्वाभाविक ही था कि जिस प्रकार मेवाड़ का सामन्तवर्ग महाराणा के विरूद्ध हो रहा था उसी प्रकार महाराणा भी अपने सामन्तों से सन्तुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने भी अपनी ओर से ब्रिटिश सरकार को इन सामन्तों के व्यवहार के विरूद्ध शिकायत की। महाराणा ने सामन्तों पर आक्षेप लगाये कि वे परम्परानुसार न राज्य की चाकरी करते हैं न पूरा 'छटून्द' ही देते हैं। उनका व्यवहार ऐसा है जिससे महाराणा के सम्मान और प्रतिष्ठा को आघात पहुँचता है, वे राज्य की वृद्धि और उन्नति के कार्यों में भी मदद नहीं करते। इसके अतिरिक्त महाराणा ने यह भी कहा कि ये सामन्त कर्त्तव्य विमुख होकर आलस्य और विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस विषय में तटस्थता की नीति का पालन करना उचित समझा और इसे आन्तरिक मामले की संज्ञा देकर सहायता करने से इनकार कर दिया।

महाराणा फतहसिंह के शासन काल में सामन्तों से सम्बन्धित मुख्य प्रश्न शाहपुरा, द्वारा मेवाड़ से पृथक होने का प्रयास, देलवाड़ा उत्तराधिकारी

विवाद, आमेट तथा मेजा के मध्य क्षतिपूर्ति विवाद तथा जवास उत्तराधिकारी विवाद थे।

8.2 दिल्ली दरबार और महाराणा फतहसिंह (1903 ई.) –

महाराणा फतहसिंह ने अपने व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता और ब्रिटिश सरकार से समानता का सबसे अधिक प्रदर्शन देहली में आयोजित दो दरबार समारोहों के समय किया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1 जनवरी 1903 को महारानी विक्टोरिया के उत्तराधिकारी एडवर्ड सप्तम के ब्रिटिश सम्राट बनने के उपलक्ष में दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन निर्धारित किया गया। इसके द्वारा कर्जन सम्पूर्ण भारत के राजा महाराजाओं तथा नरेशों को दिल्ली में एकत्र करके ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता के प्रति भारतीयों की राजभक्ति का विराट प्रदर्शन करवाना चाहता था। तदनुसार उसने भारत के समस्त राजाओं को उस दरबार में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया। परन्तु प्रारंभ से ही उसने अनुभव किया कि मेवाड़ के महाराणा, जो कि सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीयता के प्रतीक माने जाते हैं, उस समारोह में सम्मिलित नहीं होगे। महाराणा फतहसिंह को जब दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने बड़े भाई गजसिंह की मृत्यु का कारण बतला कर उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की। अतः 15 नवंबर 1902 को लॉर्ड एवं लेडी कर्जन ने उदयपुर की यात्रा। तथा महाराणा को इस आश्वसन पर तैयार कर लिया कि उन्हें अन्य नरेशों की अपेक्षा सर्वोच्च स्थान दिया जावेगा।

उक्त आश्वासन को ध्यान में रखते हुये महाराणा फतहसिंह दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिये 31 दिसम्बर को उदयपुर से रवाना हुये। परन्तु जब वे दिल्ली पहुँचे तो उन्हें पता चला कि कर्जन के स्पष्ट

आश्वासन के उपरान्त भी उनका स्थान सर्वप्रथम न रखकर हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और कश्मीर से नीचे रखा गया है अतः वे अपनी और पुत्र की बीमारी का बहाना बना कर रेल के डिब्बे से भी बाहर नहीं निकले और पुनः उदयपुर लौट गये।

वास्तव में महाराणा के 1903 के दरबार में सम्मिलित न होने का प्रश्न बड़ा जटिल और विवाद पूर्ण है। इसके सम्बन्ध में गौरीशंकर हीराचन्द ओझा की मान्यता है कि उदयपुर से दिल्ली तक की लम्बी रेल यात्रा के कारण वृद्ध महाराणा को ज्वर हो गया और इसी कारण से उन्होंने समारोह में भाग नहीं लिया। पृथ्वीसिंह महता और तेजसिंह कोठारी की मान्यता है कि महाराणा को दिल्ली पहुँचने पर आभास हुआ कि समारोह में उनका स्थान हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और कश्मीर के राजाओं के पश्चात् रखा गया है अतः उन्होंने मेवाड़ के सम्मान को ध्यान में रखते हुए दिल्ली स्टेशन से ही उदयपुर लौटने का निश्चय कर लिया। इसके अतिरिक्त हरिप्रसाद अग्रवाल का विचार है कि शाहपुरा के केसरीसिंह बारहठ द्वारा रचित राजस्थानी कविता ''चेतावनी का चुंगट्या'' का महाराज के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा अनुमान है कि वह कविता महाराणा को चित्तौड़, निकलने के पश्चात् प्राप्त हुई यदि उदयपुर में ही प्राप्त हो जाती तो संभवतः उनकी दिल्ली यात्रा का कार्यक्रम स्थगित ही कर दिया जाता।

अमरसिंह की धारणा है कि महाराणा फतहसिंह दिल्ली दरबार में नहीं जाना चाहते थे किन्तु उन्हें जाने के लिये विवश कर दिया गया। वे दरबार समारोह समय से पहले दिल्ली पहुँचे परन्तु किसी भी राजकीय उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए और न शाही जूलूस में ही भाग लिया। महाराणा अपने खेमे में ही रहे और कहते रहे कि उन्हें पेचिश की शिकायत है।

विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिये गये अनुमानों और मतों तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि महाराणा की यह अपेक्षा थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें भारत के समस्त राजाओं में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जावेगा। परन्तु वहाँ पहुँच कर जब उन्हे ज्ञात हुआ कि उनका स्थान हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा तथा कश्मीर के राजाओं से भी नीचे रखा गया था तो उन्होंने स्वयं की रुग्णता का बहाना लेकर उस समारोह का पूर्ण बहिष्कार किया।

8.3 द्वितीय दिल्ली दरबार (1911 ई.) –

1910 में एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के पश्चात् उनका लड़का जार्ज पंचम गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व ब्रिटेन के किसी भी सम्राट अथवा साम्राज्ञी ने भारत यात्रा नहीं की थी। जार्ज पंचम ही ऐसा प्रथम सम्राट था जो भारत भ्रमण पर आया। उसके इस भ्रमण उपलक्ष में 12 दिसम्बर 1911 को दिल्ली में द्वितीय दरबार का आयोजन किया गया और भारत के समस्त शासकों को दरबार में सम्मिलित होने का एक बार पुनः निमंत्रण दिया गया। जब महाराणा फतहसिंह को यह निमंत्रण प्राप्त हुआ तो उन्होंने 1903 की भाँति ही अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न उठाया। अपने प्रतिवेदन में महाराणा ने उल्लेख किया कि वे किसी भी स्थिति में अन्य देशी नरेशों से निम्न स्थान ग्रहण नहीं करेंगे। महाराणा ने यह भी सुझाव दिया कि यदि उनकी माँग को स्वीकार नहीं किया जा सके तो उन्हें किसी अन्य अवसर पर सम्राट के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाये तथा उक्त समारोह से उन्हें मुक्त रखा जावे।

महाराणा के प्रस्ताव के सन्दर्भ में ए. जी. जी. कोलवीन ने भारत सर कार के विदेश विभाग को सूचित किया कि यद्यपि वह महाराणा की स्थिति

से अत्यन्त सहानुभूति रखता है परन्तु उनको समारोह से मुक्त रखे जाने का सुझाव ब्रिटिश राजभक्ति की कमी के कारण है। दिल्ली उपस्थिति से मुक्त रखा जाना महाराणा की समस्त कठिनाइयों का एक सरल उपाय है, किन्तु फिर भी इसके लिये सिफारिश करने में मैं असमर्थ हूँ। क्योंकि यदि उन्हें दरबार में उपस्थित होने से मुक्त कर दिया जाता है तो यह एक उदाहरण बन जायेगा तथा उनका अनुसरण करके प्रत्येक राजा ब्रिटिश दरबार में अपने स्थान व क्रम से असन्तुष्ट होने का आधार लेकर उपस्थित होने से मुक्त होना चाहेगा। अतः मैं यह राय देता हूं कि महराणा को शाही दरबार में उपस्थिति से मुक्त न रखे जाने की सूचना के साथ साथ यह आश्वासन दिया जाय कि दरबार में उन्हें विशिष्ट पद दिये जाने पर विचार किया जायेगा। अतः ब्रिटिश सरकार ने महाराणा को सूचित किया कि उन्हें विश्वास रखना चाहिये कि बैठकों तथा समारोहों के अवसर पर मेवाड़ घराने के पद व प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखा जायेगा। यदि इसके उपरान्त भी समुचित कारणों के न होने पर भी, महाराणा दरबार में उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो उनके साथ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु महाराणा इस बात पर अटल थे कि जब तक उन्हें भारत के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ पद नहीं दिया जायेगा तब तक वे जुलूस में सम्मिलित नहीं होंगे और न ही नजराना पेश करेंगे। अतः उन्होंने पुनः ब्रिटिश सरकार को पद एवं स्थान के निर्धारण में सावधानी पूर्वक विचार करने को लिखा।

महाराणा के इस तर्क की पुष्टि करते हुए रेजीडेंट जे.एल.केई. ने ए. जी.जी. कोलवीन को सूचित किया कि 'महाराणा की गरिमा व पद का प्रश्न 1903 के दरबार की अपेक्षा 1911 के दरबार में बहुत बड़ा है। अतः महाराणा के मस्तिष्क में अपने पद व प्रतिष्ठा सम्बन्धित जो प्रश्न उठे हैं वे

पूर्व से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।' यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने महाराणा के इन तर्कों को प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया परन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि महाराणा इस व्यवस्था के अतिरिक्त किसी प्रकार भी दरबार में उपस्थित नहीं होंगे तो विवश होकर यह निर्णय लिया कि सम्राट एवं सामाज्ञी के शालीनगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँचने पर स्वागत में महाराणा को मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा और कश्मीर के शासकों से आगे रखा जायेगा तथा उन्हें नजराना पेश करने से मुक्त रखा जायेगा। महाराणा को शाही दरबार के शामियानों में सम्राट के अन्य सहायकों के साथ स्थान दिया जायेगा। उनके लिये एक नये पद 'रूलिंग चीफ इन वेटिंग' का भी सृजन किया गया। अतः सम्राट के दिल्ली आगमन पर वे स्टेशन पर उतरे तो सर्वप्रथम महाराणा का परिचय कराया गया और उनसे मिलाया गया। वहाँ तत्कालीन वाइसराय लार्ड हार्डिंग्ज और कई भारतीय नरेशों से भी उनकी भेंट हुई।

शाही दम्पति से परिचय की बात तो महाराणा की प्रतिष्ठा के अनुकूल हो गई परन्तु जुलूस के समय उनका हाथी बड़ौदा के हाथी के पीछे रखा गया। अतः महाराणा जुलूस में सम्मिलित नहीं हुऐ। उन्होंने अक्समात तबियत खराब होने का बहाना और दरबार में उपस्थिति होने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इसके उपरान्त भी जब तक दरबार चलता रहा वे दिल्ली में ही रहे।

2 जनवरी को महाराणा ने देहली से उदयपुर के लिये प्रस्थान किया। इस प्रकार से उन्होंने एक रूप से 1911 के दरबार का भी बहिष्कार ही किया।

महाराणा के ब्रिटिश गवर्नमेन्ट द्वारा आयोजित 1903 और 1911 के शाही दरबारों में सम्मिलित न होने से ब्रिटिश सरकार बहुत क्षुब्ध हुई, यहां तक कि उनके राजनैतिक अधिकारियों ने महाराणा को कठोरतम सजा के रूप में गद्दी च्युत करने की योजना बना ली। इस प्रश्न पर राजपूताना के ए.जी.जी. कोल्विन ने गम्भीरता पूर्वक विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ भी दण्ड दिया जाय परन्तु महाराणा को गद्दी से अपदस्थ नहीं किया जा सकता। क्योंकि सम्पूर्ण राजपूताना के शासकों के हृदयों में उनके लिये उच्च स्थान है। यदि उनको दण्ड दिया जायेगा तो ब्रिटिश सरकार को सम्पूर्ण राजपूत जाति से टक्कर लेनी पड़ेगी।

अतः ब्रिटिश सरकार ने उनके विरूद्ध कोई कदम नहीं उठाया। स्वयं सम्राट ने उनकी प्रतिष्ठा तथा मान मर्यादा का विचार करके उन्हें जी.सी. आई.ई. (नाईट ग्रान्ड कमान्डर आफ दी ईमीनेन्ट आर्डर आफ दी इन्डियन एम्पायर) की उपाधि से सम्मानित किया।

प्रथम आंग्ल–मराठा युद्ध और सालबही सन्धि (1782) के बाद महादाजी सिन्धिया उत्तर भारतीय राजनीति का सर्वमान्य शक्तिशाली सर्वमान्य नायक था। इसी अवधि में मेवाड़ की राजनीति में शक्तावतों और चुण्डावतों के मध्य मेवाड़ प्रशासन में अपनी प्रभुता और प्रभाव बनाने के लिये परस्पर संघर्षरत थे। इस कारण मेवाड़ महाराणा राज्य के सामन्तों और जागीरदारों के कुलीन शत्रुता का शिकार हो चुका था। इसी कारण भीण्डर का मोहकम सिंह शक्तावत और सलूम्बर रावत भीमसिंह चुण्डावत के मध्य संघर्ष झाला जालमसिंह कोटा ने मध्यस्था की और एक समझौता दोनों के मध्य हुआ था किन्तु सलूम्बर के रावत भीमसिंह चूणडावत उस समझौते का पालन नहीं किया इस कारण मेवाड़ में शक्तावतों और चूण्डावतों की प्रतिस्पर्धा में मराठा नेता महादाजी सिन्धिया ने सैन्य

कार्यवाही कर दी। अर्थात मेवाड़ की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप और आक्रमणों का सिलसिला प्रारम्भ हो गया।

अभी तक मेवाड़ के इतिहास में राजपूत वर्ग के महान त्याग, शौर्य एवं बलिदान की ही महिमा का चित्रण पढ़ने एवं इतिहास लेखन के विधिशास्त्र के आधारभूत तत्वों तक सीमित रहा है। प्रस्तुत शोधकार्य का यह निष्कर्ष निम्न बिन्दुओं में उल्लेखनीय है –

1) मेवाड़ के शासन प्रबन्ध में प्रारम्भिक काल से ही राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर सेवाकार्य करने वालों में सेन्यसेवाओं में ब्राह्मण (पाणेरी, पालीवाल, बड़वा) वैश्य (बोलिया घराना, भामाशाह कावड़िया घराना, मेहता चील जी घराना, मेहता बच्छावत, कोठारी) कायस्थ, चारण जनजातीय वर्ग में भील–गरासिया, मीणा, मेर–मेवों की अहम भूमिका थी। उदाहरणार्थ जब मेवाड़ की राजधानी नागदा थी तब स्थानीय बाह्य घरानों के जोशी, मेहता, पानेरी, पालीवाल, नागदा के इत्यादि नाम जातिय वर्गों ने अरबों, तूर्कों व मुगल, मराठा आक्रमणों के दौरान राजपूत वर्गीय जागीरदार सामन्तों के साथ प्रथम पंक्ति में शौय बलिदान दिया था, इसी कारण बप्पारावल, खुमाणरावल जैत्रसिंह, समरसिंह एवं रावल रतनसिंह के समय नागदा – दिवेर भूताला, चित्तौड़ में राज्य की सुरक्षार्थ युद्धों में बलिदान दिया, जिनके स्मारक नागदा एकलिंगजी, चीरवा घाटा, दीवेर तथा चित्तौड़ में देखे जा सकते हैं। उपलब्ध ताम्रपत्रों, अभिलेखों, शिलालेखों के साथ जनश्रुतियों व स्थानीय ब्राह्मणों के परिवारों से लिये गये साक्षात्कार से यह प्रमाणित हो चुका है कि ऐसी गैर राजपूतवर्ग के विभिन्न ब्राह्मण व उनकी उपजातियों को उनकी राज्य की सेवार्थ धार्मिक एवं सैन्य सेवा के लिये गांव के गांव की भूमि स्थानीय समुदायों को पीढ़ी दर पीढ़ी तक भोग उपभोग प्रदान की जाती रही और ऐसे भूदान पत्रों–पट्टों, परवानों,

शिलालेखों के युद्ध व दुष्काल में विलुप्त होने के बाद भी राज्य के पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दत्त प्रदत भूदान में प्रदत कर मुक्त भूमि का नवीनीकरण समय समय पर होता रहा।

मैनें ऐसे सैंकड़ों ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सती स्तम्भों, सुरह लेखें को मेवाड़ के राजकीय व निजी शोध संस्थानों में देखे तथा उनमें से कुछ नमूनों के तौर पर प्रकाशित एवं अप्रकाशित ताम्र पत्रों को यथा स्थान प्रत्येक अध्याय के अन्त में परिशिष्टों में दर्शायें है जिनमें चित्तौड़ की तलहटी के सेंती में पाणेरी को देय ताम्रपत्र, ग्राम, गवारड़ी, खेरोदा, बड़गांव मेनार, घासा गांव गुड़ला, नागदा आहड़ परगनों में पुरोहित, पालीवाल चीरवा के नागदा–मेनारिया–पाणेरी घरानों को ताम्रपत्रों में महाराणा रायमल मोकल, उदयसिंह, प्रताप, अमरसिंह प्रथम, जगतसिंह, राजसिंह, जयसिंह, एवं अमरसिंह द्वितीय, भीमसिंह, जवानसिंह, महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा जारी प्रमाणित ताम्रपत्रों की सूची एवं उनका विवरण प्रस्तुत किया है।

2) सम्पूर्ण शोध कार्य से यह प्रमाणित होता है कि उत्तर भारत की राजनीति और मेवाड़ मराठा आक्रमणों के दौरान महादजी सिन्धिया के सेनानायकों में सदाशिव राव तथा मल्हार बारले, मराठा पेशवा बालाजी बाजी राव का भाई सदाशिव भाऊ मराठा कालीन विदेश विभाग के विभागाध्यक्ष थे और समस्त आंग्ल–मराठा एवं मराठा–राजपूतों के सम्बन्धों में प्रशासनिक सलाहकार थे। पेशवा का भाई सदाशिव भाऊ महादजी सिन्धिया का दीवान था।

3) महाराणा अमरसिंह द्वितीय से महाराणा भीमसिंह के शासन काल तक सम्पूर्ण मेवाड़ आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से उतना अधिक शक्तिशाली और सम्पन्न नहीं था जितना कि महाराणा राजसिंह के शासन

काल तक था। यह भी सिद्ध हुआ कि 1707 ई. से 1720 ई. तक दिल्ली में मुगल साम्राज्य औरंगजैब की मृत्यु के बाद छिन्न–भिन्न हो गया था। इस कारण राजस्थान के समस्त राजपूत नरेश मुगलों की अधीनता से मुक्त होने के पक्ष में थे। परन्तु मराठों ने अटक से कटक तक अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास किया। इसी कारण महादजी सिन्धिया के सेनानायकों और पेशवा के भाई सदाशिव भाऊ ने 1761 ई. के पानीपत के तृतीय युद्ध के पूर्व दिल्ली, आगरा, पंजाब पर आक्रमण किए किन्तु मराठों की इस युद्ध में न केवल पराजय हुई बल्कि उनका सम्पूर्ण भारत में प्रभाव समाप्त प्रायः हो गया था क्योंकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठों को परास्त कर उत्तर भारत में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया।

सन् 1788 ई. में मेवाड़ का मराठों के विरूद्ध प्रतिरोध चरम सीमा पर था किन्तु दरबार में गुटबन्दी और परस्पर गृहयुद्ध के कारण हड़किया खाल की लड़ाई में पराजय का सामना करना पड़ा। इस समय राजस्थान के समस्त राजपूत राजाओं ने मराठों के विरूद्ध भले ही युद्ध किया हो परन्तु हड़किया खाल युद्ध में पराजय के कारण मराठों का मेवाड़ पर हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ।

शक्तावत चूण्डावत गुटबन्दी मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप प्रशासन में रक्तपात प्रधान सोमचन्द गांधी की हत्या मेवाड़ के गृहयुद्ध में मराठा आक्रमण 1772 ई. से 1795 ई. तक महादजी सिन्धिया का देवगढ़ भीलवाड़ा से नाथद्वारा आगमन अगस्त 1789 ई. यहां नाथद्वारा में महाराणा का प्रतिनिधि व जालमसिंह उसे अगवानी में आए।

सितम्बर 1791 ई. में मेवाड़ मराठा समझौता 60 लाख में तय 10 सैन्य दल से शक्ति बाबत् छूट दी थी। 10 लाख देवगढ़ से व 1 लाख बनेड़ा से वसूलना था अम्बाजी डूंगरिया को नियुक्त किया गया। कर वसूली का कार्य कठिन समझ महादजी व महाराणा के मध्य नाहर मगरा में भेंट हुई झाला जालमसिंह प्रधान शाह सतीदास देलवाड़ा का कल्याण सिंह झाला महाराणा के साथ था। अन्त में चित्तौड़ में सेंथी में महाराणा व महादजी मिले। अम्बाजी ईग्ले के प्रयासों से रावत भीमा से समझौता कर चित्तौड़ खाली किया नवम्बर 1791 महादजी ने अम्बाजी ईग्ले को मेवाड़ में प्रशासक नियुक्त कर पुनः चला गया। मेवाड़ के प्रशासन में मराठा ब्राह्मणों में देशस्थ ब्राह्मण व शैणवी ब्राह्मण दो दल का योगदान था। इनकी एक ही शाखा से मुख्य नायक था रघुनाथ मल्हार कुलकर्णी जो कि इतिहास में अम्बा व चिटनीस कृष्णोबा चीटनीस व गोपाल भट्ट के नाम से लोकप्रिय थे। इसी अवधि में लकवा दादा नारायण, जीवाजी, बालाजी, पींगले प्रमुख थे तत्कालीन मराठा कालीन मौलिक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि महादाजी सिन्धिया की सम्पूर्ण सैन्य बल के नायक जीवाजी बल्लाल और जीवा दादा बक्शी थे। ये सभी समस्त मराठा दरबार शैणवी ब्राह्मण थे।

दीवान मोजीराम बोलिया द्वारा मराठा सेन्य शक्ति का प्रतिरोध राजमहल में मराठा नायक बालेराव व उदयकंवर को बन्दी बनाकर रखा। झाला जालम सिंह द्वारा मराठा नेता बालेराव व अन्य को मुक्त कराया गया। चेजाघाटी का 5 दिन तक सन् 1803 का युद्ध झाला जालिम सिंह शक्तावत व लावासरदारगढ़ की सेना ने चूण्डावत नेतृत्व महाराणा से संघर्ष किया रामपुरा के शासक खींची बलवन्त सिंह भी पहुँचा। महाराणा की अस्थिर नीति से उसने मराठों से समझौता किया जालिम सिंह से सम्बन्ध बनाये रखा। झाला जालमसिंह ने चेजाघाटी युद्ध में मराठों का सहयोग

कर मेवाड़ के द्वारा पकड़े मराठा नेताओं को मुक्त कराया फलतः उसे युद्ध खर्च हेतु परगना जहाजपुर मिला वहां उसने विष्णु सिंह शक्तावत को कीलेदार रखा।

यदि इस अवधि में राजस्थान के समस्त राजपूत राजाओं ने संगठित होकर मराठा आक्रमणों के विरूद्ध एकमत होकर युद्ध किया होता और अपनी जातीय शत्रुता से हट कर भारत में हिन्दु साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया होता तो निश्चय ही मुगल साम्राज्य के पतन का लाभ उठाकर भारत में मेवाड़ के झण्डे के नीचे हिन्द साम्राज्य स्थापित हो सकता था।

इस शोध कार्य से यह भी प्रमाणित हुआ कि जिस प्रकार मुगल साम्राज्य के अन्तिम कमजोर शासक शाहआलम द्वितीय और उसके पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती शासक राजधानी दिल्ली में दल बन्दियों से ग्रसित थे क्योंकि वहाँ शासन में सत्ता के लिए ईरानी–तुरानी, शिया–सुन्नी, मुस्लिम–हिन्दू वर्गों में प्रतिस्पर्धा थी। स्वयं वजीर के पद के लिए अवध का नवाब और दक्षिण में हैदराबाद के निजाम के मध्य शत्रुता थी। जिसका लाभ अहमदशाह अब्दाली ने 1755 ई. से 1761 ई. तक उठाया और दिल्ली पर अफगानों का अधिकार हो गया। ठीक उसी प्रकार मेवाड़ में भी मेवाड़ के महाराणा अरिसिंह द्वितीय के समय से महाराणा भीमसिंह के समय तक दरबार में दल बन्दी थी। यहाँ शक्तवात–चुण्डावत वर्गों में निरन्तर मतभेद और शत्रुता बनी रही। इस कारण मेवाड़ में महाराणा की पद गरिमा शक्ति और उसका अधिकार नाममात्र का रहा। प्रधान पद प्राप्ति के लिए वैश्य वर्ग में मेहता (चील जी मेहता), मेहता (बच्छावत) घराने में वैमनस्य था तो इसका लाभ अन्य वर्ग के महत्वाकांक्षी पदाधिकारी उठा रहे थे। यह ज्ञात हुआ कि मेवाड़ के संक्रमणकालीन अवधि में ब्राह्मण वर्ग का शक्तिशाली

और बुद्धिमान तथा सुयोग्य व्यक्ति ठाकुर अमरचन्द बड़वा को प्रधान का पद प्राप्त हुआ जिसने मराठों को न केवल मेवाड़ की सीमा से निष्कासित किया बल्कि उसने उदयपुर राजधानी की सुरक्षा के लिए मजबूत परकोटे और द्वार बनवाए जिन पर तोपें लगवाई गई और उसने मराठा आक्रमणों से राज्य की रक्षा की। महाराणा की दुर्बल मानसिकता के कारण शक्तावतों, चुण्डावतों ने अपने पक्षधर व्यक्ति को प्रधान पद पर नियुक्त करने का क्रम जारी रखा परिणाम यह हुआ कि इस अवधि में प्रधान सोमचन्द गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद भी प्रधान पद सामन्तों के स्वार्थ का एक उपकरण बन गया था। यह भी देखा गया कि मराठा आक्रमणों का शिकार स्वयं महाराणा भीमसिंह की सुन्दर कन्या कृष्णाकुमारी के विवाह का प्रकरण 10 वर्षों तक उलझा रहा क्योंकि कृष्णाकुमारी के विवाह को लेकर जयपुर, जोधपुर के शासकों ने मराठा होल्कर–सिन्धिया और अमीरखां पिण्डारी की सहायता मांगी। इस कारण समस्त राजपूताना मराठा आक्रमणों, उनके आतंक, लूटपाट का मैदान बन गया। अन्ततः समस्त राजपूत राजाओं ने मराठा–पिण्डारी आक्रमणों के विरूद्ध सन् 1818 ई. में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सहयोग और सहायता की सन्धि की। इस शोध से यह सिद्ध होता है कि मेवाड़ सन् 1791 ई. से 1818 ई. तक मराठों का संरक्षित राज्य बन गया और सन् 1818 ई. से 1947 ई. तक यानि राजस्थान की रिसायातों के एकीकरण और उनके भारत संघ में मिलने तक मेवाड़ समस्त देशी राज्यों की तरह ब्रिटिश सम्प्रभुता के अन्तर्गत चला गया। जो सदियों पूर्व मेवाड़ की चली आ रही स्वाधीनता, स्वाभिमान और गौरव गरिमा केवल मात्र ऐतिहासिक दस्तावेजों का ही अंग बन गया।

8.4 भावी शोध हेतु सुझाव –

1) मैनें सम्पूर्ण शोध कार्य के दौरान यह अनुभव किया कि भविष्य में मेरे शोध कार्य के अतिरिक्त राजस्थान के ठिकानों एवं एतिहासिक घरानों की पुरालेखीय सामग्री पर अलग से शोध कार्य किया जा सकता है।

2) इसी क्रम में यह अनुभव किया गया कि मेवाड़ शासन प्रबन्ध गैर राजपूत वर्ग पर अलग से शोध कार्य किया जा सकता है इस हेतु अभिलेखागारों, निजी संग्रहालयों में तथा व्यैक्तिक पारिवारिक घरानों में अप्रकाशित सामग्री उपलब्ध है।

3) इसी तरह मेवाड़ शासन में आधार स्तम्भ प्रधान रहे हैं इस दृष्टि से अलग अलग वर्गों के प्रधानों में यथा बड़वा घराना (सनाढ्य) महत्वपूर्ण रहा है इस विषय पर अमरचंद बड़वा उसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर पृथक से शोध कार्य की आवश्यकता है क्योंकि यह परिवार महाराणा सांगा के समय से अंतिम महाराणा भूपाल सिंह तक मेवाड़ के प्रशासनिक पदों पर रहते हुए सैन्य और अन्य प्रशासनिक उत्तरदायित्व की अहम् भूमिका अदा की। वर्तमान में इस परिवार के निजी अभिलेख प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर में सेवानिवृत उपनिदेशक डॉ. राजेन्द्र नाथ पुरोहित के पास उपलब्ध है जो मूल्यवान है।

4) इसी तरह मेवाड़ के शक्तावत घराना जिनमें भीण्डर, बानसी, बोहेड़ा पर शोध किया जा सकता है।

5) मेवाड़ के जागीरदारों में सलूम्बर के चुण्डावत, बेगू, आमेट, देवगढ़, मेझा आदि पर अप्रकाशित शोध सामग्री उपलब्ध है अतः इस श्रेणी के सामन्तों के योगदान पर शोध की नितान्त आवश्यकता है।

6) मेवाड़ के राजपरिवार से सम्बन्धित बागोर घराना– इसका वंशधर नेतावल – पीलादर तथा करजाली घराना एवं शिवरती घराना महत्वपूर्ण रहे हैं और अभी भी इन घरानों के कुलीन परिवार के निजी संग्रहालयों में अमूल्य शोध सामग्री उपलब्ध है जिसका शोध की दृष्टि से महत्व है।

7) इसी प्रकार जैन वर्ग में बोलिया घराना, मेहता (बच्छावत), मेहता (चीलजी), कोठारी, भामाशाह कावड़िया के परिवार पर पृथक से शोध कार्य किया जा सकता है।

परिशिष्ट – 1

मेवाड़ के महाराणा एवं उनके शासन के प्रमुख जागीरदार/ऐतिहासिक पुरूष

शासक का नाम	प्रधान	पुरोहित	प्रमुख जागीरदार तथा ऐतिहासिक घरानें
राजा अपराजित सन् 661 ई.	वैरी सिंह जी (देखें कुण्डा ग्राम की प्रशस्ति)		सन् 568 ई. में गुहिल वंश की स्थापना। सन् 606 ई. में मेवाड़ के गुहिल वंश के पूर्वज शिलादित्य हुआ।
बाप्पा रावल सन् 734–753 ई.	नरेश जी जोशी (देखें चीरवा ग्राम की रावल समरसिंह कालीन प्रशस्ति)	ऋषि हारित	सन् 734 ई. में बाप्पा रावल का राज्यारोहण (मेवाड़ में गुहिल राजवंश का संस्थापक बाप्पा रावल)। चित्तौड़ पर राज्य करने वाले मौर्य वंशी राजा मान को हरा कर चित्तौड़ राज्य जीता। बाप्पा रावल के सहयोगी दो भील – बिल्ला व देवा भील, जिन्होंने चित्तौड़ राज्यारोहण के समय बिल्ला ने अपने अंगूठे के खून से बाप्पा रावल का राजतिलक किया। सिन्धुपति महाराज चचदेव का चित्तौड़ आगमन एवं बाप्पा रावल का चचदेव को पुनः सिन्धुपति बनाना।
अल्लट (आलू) सन् 951–953 ई.	प्रधान मम्मट (देखें आहड़ ग्राम सारणेश्वर मन्दिर की प्रशस्ति)		अल्लट के समय मन्त्री परिषद् की जानकारी मिलती है। अमात्य मम्मट, सन्धि विग्रहिक – दुर्लभ राज, अक्षपटलिक – मयूर एवं समुद्र था। बन्दीपति (मुख्य भाट) – नाग, भिषगाधिराज – रूद्रादित्य था। अल्लट के समय निर्मित वराह मन्दिर में शिलालेख लगा हुआ था। इसमें अल्लट की माता महाराणी महालक्ष्मी एवं राजा अल्लट व उसके पुत्र नरवाहन इत्यादि की नामावली है। इस

			लेख का सूत्रधार अग्रट है। इस लेख से ज्ञात होता है कि आहड़ 10वीं शताब्दी में भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। जहाँ गुजरात (लाट), कर्नाट (कर्नाटक), टक्क देश (पंजाब) इत्यादि देश के विभिन्न प्रान्तों से व्यापारी एवं उद्योगपति आते थे। (आहड़ प्रशस्ति में मेवाड़ राज्य के मंत्रियों की सूची मिलती है)
नरवाहन सन् 972–973 ई.	(देखें कदमाल ग्राम का ताम्र पत्र)		कदमाल के ताम्र पत्र में गुहिल वंश के शासकों की वंशावली मिलती है।
कर्णसिंह प्रथम (रणसिंह) देखें एकलिंग माहातम्य 1) रावल शाखा चित्तौड़ 2) सिसोदिया राणा	चौहड़ सिंह देखें घाटा वाली माता का लेख (पिण्डवाड़ा, आबू मार्ग)		कर्णसिंह से दो शाखाऐं चली। 1) डूंगरपुर की रावल शाखा एवं 2) चित्तौड़ – मेवाड़ की सिसोदिया वंश की शाखा जो ''राणा शाखा'' से सम्बन्धित है। जालौर के कीतू चौहान (कीर्तिपाल) ने आहड़ पर आक्रमण कर मेवाड़ छीना था तब सामन्तसिंह (डूंगरपुर राज्य का संस्थापक) ने जो कर्णसिंह (करण सिंह का पौत्र था) उसने अपने भाई कुमार सिंह का पैतृक राज्य (मेवाड़ आहड़) को पुनः प्राप्त कर भाई को लौटाया
जैत्रसिंह सन् 1213–1253 ई.	महाधवल जी, सगर जी	योगराज नागदा का तलारक्ष	महाधवल जो पहले अन्हिलवाड़ा का प्रधान था। जो बाद में मेवाड़ आया व जैत्रसिंह का प्रधान बना। राजा सगर जिसने मोहम्मद गौरी, गुजरात के सुल्तान अहमदशाह, मालवा के मुस्लिम सुल्तान एवं दिल्ली के सुल्तान

			इल्तुतमिश से युद्ध लड़े।
रावल समरसिंह सन् 1273–1302 ई.	योगराज जी	योगराज के पुत्र पमराज महेन्द्र	योगराज मेवाड़ की राजधानी नागदा का तलारक्ष था। उसके चार पुत्र थे – पमराज, महेन्द्र, चम्पक और क्षेम थे। महेन्द्र का पुत्र बालक कोटड़ा के युद्ध में काम आया। रावल समरसिंह से रावल रतनसिंह तक सन् 1303 के शाके तक मेनारिया नागदा के योगराज के पुत्र–पुत्रादि मेवाड़ के प्रशासनिक एवं सैन्य सेवा में योगदान देने वालों में मुख्य थे। समरसिंह के वंशधर में कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र माहप ने डूंगरपुर में रावल शाखा प्रारम्भ हुई और छोटे पुत्र राहप शाखा से मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश प्रारम्भ हुआ। हम्मीर सिसोदिया वंश का शासक था।
रावल रतनसिंह सन् 1302–1303 ई. तक	लखम जी बोलिया राजा बोहित्य जी	मदना	लखम जी बोलिया रावल समरसिंह के समय प्रधान बने तथा प्रथम शाका सन् 1303 ई. में बोलिया परिवार की पूरी पीढ़ी भी शहीद हुई। अल्लाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण सन् 1303 ई. रानी पद्मिनी के नेतृत्व में प्रथम शाका – जौहर, गौरा बादल सेना नायक शहीद
राणा हम्मीरसिंह सन् 1326–1364 ई.	जुहड़ जी मेहता (जालसी जी मेहता)	जयपाल, राजल, बरबड़ी देवी चारण माता पुत्र बारू	डकैत मूंजा बालेचा का वध किया तथा महाराणा अरिसिंह प्रथम ने इस कारण हम्मीर का राजतिलक किया। इसके कारण अरिसिंह प्रथम के पुत्र सज्जन सिंह, क्षेम सिंह अप्रसन्न होकर दक्षिण भारत में चले गए। चारण बरबरी देवी एवं उसके पुत्र बारू चारण ने हम्मीर की सैन्य व आर्थिक सहायता की।

महाराणा क्षेत्रसिंह सन् 1364–1382 ई.	रामदेव जी नवलखा	राजड़ जी	महाराणा क्षेत्रसिंह के समय शासन प्रबन्ध में लोक कल्याणकारी कार्य – कृषि, व्यापार, भू–प्रबन्धन कार्य
महाराणा लाखा सन् 1382–1421 ई.	रामदेव जी नवलखा	राजड़ जी	महाराणा लाखा के समय राजकुमार चूण्डा मुख्यमंत्री का कार्य करता था। जब महाराणा लाखा की माँ सोलंकिनी द्वारका तीर्थ यात्रा गई तब काबों (लूटेरा जाति) ने मेवाड़ की सैन्य टुकड़ी पर हमला कर दिया। इस समय शार्दुलगढ़ के रावसिंह डोडिया ने राजमाता की रक्षा की और वे शहीद हो गए। इनके पुत्रों कालू व धवल ने राजमाता को महलों में रखा इस कारण महाराणा लाखा ने धवल को मेवाड़ में रतनगढ़, नन्दराय व मसुदा जागीरी में दी।
महाराणा मोकल सन् 1421–1433 ई.	राजकुमार चुण्डा जी, नवलखा सहणपाल जी	राजड़ जी पुरोहित	महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूण्डा ने आजन्म कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की एवं मेवाड़ राज्य के संरक्षक बने। मेवाड़ के ताम्रपत्रों एवं राज आज्ञाओं (परवानों) पर पितृभक्त राव चूण्डा के हाथ का भाला चिन्ह लगाते थे। उसके नीचे महाराणा अपने हाथ से परवाने स्वीकार करते थे। प्रथम बार ताम्रपत्रों एवं परवानों पर चूण्डा के भाले के चिन्ह लगाने के बाद ही महाराणाओं द्वारा स्वीकृति का अधिकार चूण्डा जी की उप–माता महाराणा मोकल की पत्नि महाराणी राठौड़ हंसा बाई जी राज ने दिया। रामदेव जी नवलखा का पुत्र सारंग और सहसपाल प्रशासन में मंत्री मण्डल में मुख्य थे।

			राजड़ जी पुरोहित भाणुजा के थे। इनके भाई वेजड़ जी के पक्षधर बड़ा पालीवाल कहलाए तथा राजड़ जी पक्षधर छोटे पालीवाल छोटे भाणुजा में रहते थे। मोकल के समय लाखा की पत्नि हंसा बाई का भाई रणमल महाराणा मोकल का संरक्षक बना।
महाराणा कुम्भा सन् 1433–1468 ई.	रामदेव नवलखा के पुत्र सहणपाल जी, छज्जू जी बोलिया, शाह गुणराज जी		महाराणा कुम्भा के समय महेश, अत्रि, नाथ एवं मण्डन सूत्रधार थे। जय एवं अपराजित विद्वान थे।
महाराणा रायमल सन् 1473–1509 ई.	राय विनोद जी	रामदास	करमचन्द पंवार सैन्य एवं प्रशासनिक प्रबन्धों के लिए प्रसिद्ध था। राजकुमार पृथ्वीराज, जयमल एवं संग्राम सिंह तीनों भाई थे। जो नाहर मगरा के पास भीमल गाँव में स्थित एक देवी मन्दिर में अवतार चारण कन्या बीरी के पास भाग्यफल हेतु गए। उसने राणा सांगा को मेवाड़ का स्वामी होने की भविष्यवाणी की। इस पर तीनों भाइयों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। पानेरी के पद पर हरिदास कप्पड़दार था। हंसराज कलावत (कायस्थ), कान्ह कायस्थ, आयण महासाणी, महासाणी महेश गुजरात के हलवद राज्य के राजा झाला के बेटे अज्जा व

			सज्जा अपने भाइयों के झगड़ों से निकल कर सन् 1506 में मेवाड़ आए व महाराणा रायमल की सेवा में रहे। महाराणा रायमल ने इनको उपकृत कर सामन्तों में शामिल किया। झालाओं के पाँच ठिकाने हैं – सादड़ी, देलवाड़ा, गोगुन्दा (प्रथम श्रेणी के ठिकाने), ताणा, झाड़ोल (द्वितीय श्रेणी के ठिकाने)।
महाराणा सांगा सन् 1509–1527 ई.	छज्जू जी बोलिया, शाह गिरधर जी पंचोली, तोला जी शाह	दामोदर	करमचन्द पंवार सैन्य एवं प्रशासनिक प्रबन्धों के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपनी पुत्री का विवाह राणा सांगा से किया था। इसने अपने ठिकाने श्रीनगर, अजमेर में राणा सांगा को पनाह दी थी। सांगा के पुत्र भोज राज की पत्नि मीरा बहिन जो जयमल मेड़तिया की बहन थी। कमरचन्द पंवार को बम्बोरी ठिकाना दिया गया जो द्वितीय श्रेणी का है। चील जी मेहता रणथम्भौर के किलेदार थे।
विक्रमादित्य महाराणी कर्णावती (राजमाता) सन् 1531–1537 ई. 1) महाराणा रतनसिंह 2) महाराणा	शाह माधु जी चील जी मेहता	जाना शंकर जी नारायण दास जी	सन् 1533–1534 ई. में चित्तौड़ का दूसरा शाका हुआ इसमें मुख्यतः देवलिया प्रतापगढ़ का रावत बाघसिंह, देसूरी का सोलंकी भैरवदास, देलवाड़ा का राज राणा सज्जा, डोडिया भाण, रावत दूधा मुख्य थे। इस वर्ष महाराणी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। दूधा, सत्ता व कम्मा तीनों सुप्रसिद्ध मेवाड़ के वीरवर भीष्म चूण्डा के वंशज रावत रतनसिंह के पुत्र थे।

विक्रमादित्य 3) महाराणा बनवीर सन् 1537–1540 ई.			नंगा चूण्डा के पुत्र कान्दल का पौत्र था। इसके पिता का नाम प्रभु सिंह था। मीरां बाई, यह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नि थी, जो मेड़ता के राज नीरमदेव के छोटे भाई व जयमल के काका रतनसिंह राठौड़ की पुत्री थी। मीरां के पिता रतनसिंह खानवा युद्ध में (सन् 1527 ई. में) राणा सांगा के सैन्य दल में थे, वह वहाँ शहीद हुए। राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज की पासवानी पूतल दे का पुत्र बनवीर था। सांगा ने बद्चरित्र के कारण मेवाड़ से निष्कासित किया था, पर अवसर देखकर उसने राणी कर्णावती की मृत्यु के बाद सत्ता हड़प ली।
महाराणा उदयसिंह सन् 1537–1572 ई.	निहाल चन्द जी बोलिया, मेहता चील जी, आशा शाह देवपुरा, रामा शाह मसानी, भामाशाह कावड़िया	नारायण दास जी पुरोहित	कीरत वारी एवं पन्नाधाय ने चित्तौड़ से उदयसिंह को बनवीर से सुरक्षित कुम्भलगढ़ पहुँचाया। उस समय कुम्भलगढ़ का किलेदार आशा शाह देवपुरा था। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण सन् 1567–68 ई. के दौरान कोठारिया रावत खान, पूर्बिया, चौहान, साईंदास चूण्डावत (सलूम्बर का पूर्वज), रावत सांगा कान्धल का पौत्र जग्गा, बागौर से रावत सांगा, मेहता चील, ईडर का मानसिंह, पानरवा का राणा पूंजा, ताणा का सांखला, मैरा, जयमल मेड़तिया, रावत पत्ता, कल्ला राठौड़ रक्षार्थ लड़े व शहीद ईसरदास, साईदास, राजराणा सज्जा, राजराणा सुल्तान आसावत इत्यादि युद्ध में

			शहीद हुए।
महाराणा प्रताप सन् 1572–1597 ई.	निहाल चन्द जी बोलिया, भामाशाह कावड़िया	जगन्नाथ जी कचरावत, कल्याण जी पानेरी	हकीम खाँ सूर, भामाशाह एवं भाई ताराचन्द, ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर एवं उनका पुत्र शान्तिवाहन, भवानीसिंह, कल्याण पानेरी, मेहता जयमल बच्छावत, मेहता रतनचन्द खेमावत, चारण जैशा व केशव (सौदा बारहठ), डोडिया भीमसिंह, रावत कृष्णदास, रावत सांगा, पानरवा का राणा पूंजा, शक्तिसिंह, सिरोही का राव चन्द्र सेन
महाराणा अमरसिंह प्रथम सन् 19 जन. 1597–26 जन. 1620 ई. चावण्ड राज्याभिषेक	जीवा जी शाह, अक्षय राज जी, रंगो जी बोलिया	राय सुन्दर दास जी	ईडर का झाला हरदास, झाला कल्याण, राठौड़ कृष्णदास, बेदला के बल्लू चौहान और देलवाड़ा के झाला शत्रुसाल, राठौड़ किशनदास, सिसोदिया माघसिंह, शार्दुलसिंह, सहमल सिंधल, बीदा सिंधल, सांवलदास, कुंवर अर्जुन सिंह, माधव सिंह, राठौड़ माला, देवड़ा पत्ता कलावत, सोनगरा केशवदास, अक्षयराज का पोता सोनगरा सावंतसिंह चूण्डावत, दूदा सांगावत, डोडिया गोपालदास, डोडिया सादा एवं सूजा व आगरा तथा जगमाल राठौड़, मन्मनदास, बदनौर सांवत, गोगुन्दा में सम्पन्न युवराज कर्णसिंह एवं शाहजादा खुर्रम के बीच सन्धि
महाराणा कर्णसिंह सन् 1620–1628 ई.	अक्षय राज जी	द्वारकेश जी राजपुरोहित जिंत्यावास	नारायणदास शक्तावत (शक्तिसिंह का पौत्र) रतनगढ़ एवं बेंगू के परगने दिए गए। रावत मेघसिंह चूण्डावत (काला मेघ) हरदास झाला राणा कर्णसिंह का विश्वासपात्र जागीरदार
महाराणा जगतसिंह	अक्षय राज जी,	काशीदास जी	गूगावत पंचोली (जगन्नाथ राय मन्दिर का निर्माता) इसे सूत्रधार

सन् 1628–1652 ई.	भाग चन्द जी भटनागर (कायस्थ पंचोली), भामाशाह का दोहिता – जिगीशा बाई का पुत्र भाण जी मेहता (बच्छावत) यह बीकानेर के दीवान करमचन्द का पोता था अर्थात् भामाशाह की पुत्री का पुत्र	राजपुरोहित गुड़ली गांव	अर्जुन की देखरेख में सूत्रधार भाण व उसके पुत्र मुकुन्द ने बनाया। भोपत राय (धरियावद वालों का पूर्वज और महाराणा प्रताप के तीसरे पुत्र सहसमल का बेटा था) 1615 ई. की सन्धि के तहत महाराणा जगतसिंह ने भोपत राय के मुगल साम्राज्य के दक्षिण विजय में सैन्य सहायतार्थ भेजा था। दक्षिणी विजय का समाचार झाला कल्याण ने बादशाह को माण्डु में दिया। मुंशी भाणचन्द ब्राह्मण पटियाला का रहने वाला था व फारसी का विद्वान था। शाहजादा दारा शिकोव का मुंशी था। उसने ''इंशाए–ब्राह्मण'' नामक प्रस्तुत पुस्तक की रचना की। शाहजहां ने उदयपुर महाराणा के पास भेजा। मुंशीचन्द्र भाण के सहयोग से राज समुद्र पर सन्धि हुई। भाणजी मेहता मेवाड़ की सेना का सेनापति था। उसने औरंगजेब के विरूद्ध युद्ध में मेवाड़ की रक्षा की एवं शहीद हुए।
महाराणा राजसिंह सन् 1652–1680 ई.	रघुनाथ सिंह जी चुण्डावत, फतह चन्द जी	गरीब दास जी	गरीबदास, मधुसूदन भट्ट, रायसिंह झाला, कायस्थ फतहचन्द, झाला सुल्तान सादड़ी, सबल सिंह चौहान (बेदला), महाराणा का चारूमति से एवं औरंगजेब का मेवाड़ उदयपुर पर आक्रमण सन् 1679–80 ई. विवाह राणा राजसिंह द्वारा औरंगजेब की हिन्दू धर्म विरोधी व जजिया टैक्स का प्रतिरोध करना।

			महाराणा राजसिंह ने औरंगजेब के मेवाड़ आक्रमण के विरूद्ध सन् 1679–80 ई. में अपने कुंवर जयसिंह, कुंवर भीमसिंह, रावल यशकर्ण, राणावत भीमसिंह, महाराज मनोहर सिंह (महाराणा कर्णसिंह के पुत्र गरीबदास का पुत्र), महाराज दलसिंह (कर्णसिंह के छोटे पुत्र छगसिंह का पुत्र), अरिसिंह महाराणा का भाई व अपने चार पुत्रों – भगवन्त सिंह, सुभाग सिंह, फतहसिंह, गुमानसिंह, बेदला का राव सब्बल सिंह, चौहान झाला चन्द्रसेन, राठौड़ राव दुर्गादास, राठौड़ गोपीनाथ (घाणेराव), राजपुरोहित गरीबदास, खींची रामसिंह डोडिया, मंत्री दयालदास, अबू मलिक अज़ीज युद्ध में लड़े। भीण्डर का मोहकम सिंह, सलूम्बर का रतन सेन (रत्नसिंह) जो सलूम्बर के रावत रघुनाथ सिंह चूण्डावत का पुत्र था, रावत माहसिंह (बेंगु वाले काले मेघ का पुत्र), झाला जैत्रसिंह (देलवाड़ा का झाला), बैरीसाल जो बिजोलिया का था एवं सांवलदास प्रसिद्ध राव जयमल राठौड़ का वंशधर व बदनौर का स्वामी रावत मानसिंह (कानोड़ का पूर्वज), राव केसरीसिंह चौहान (पारसोली), गोगुन्दा का झाला जसवन्त इस युद्ध में सन् 1679 ई. में स्वयं औरंगजेब ससैन्य मेवाड़ आया और देबारी के युद्ध में मेवाड़ के कई योद्धा मुगल सेना का प्रतिरोध करते हुए मारे गए जिनमें जय राठौड़, गौरासंग एवं बल्लुदास काम आए।

			उदयपुर के जगदीश मन्दिर एवं नगर की रक्षार्थ 20 ''माचातोड़'' भील योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। 22 फरवरी, 1680 को बादशाह ने उदयपुर में कुल 63 मन्दिर तोड़े। अंत में महाराणा जयसिंह के समय 18 जुलाई, 1681 को राजनगर पर सन्धि हुई। इसका राजप्रशस्ति नौ चौकी के लेख में उल्लेख है। इसमें महाराणा ने पुर, माण्डल एवं बदनौर के परगने जजिया कर के बदले मुगलों को सौंप दिए।
महाराणा जयसिंह सन् 1680–1698 ई.	दयाल दास जी	गरीब दास जी, रणछोड़ दास जी	रावत केशरीसिंह चौहान, रावत रतन सिंह चूण्डावत, राठौड़ दुर्गादास, राठौड़ रामसिंह रतलाम वाला, रावत महासिंह सारंगदेवोत, महाराज सूरत सिंह (महाराणा राजसिंह का भाई), उदयभान कोठारिया का, राव सज्जा झाला (देलवाड़ा), ठाकुर गोपीनाथ, ठाकुर गोपीनाथ घाणेराव, रावत कांधल (सलूम्बर), पारसोली का रावत केशरी सिंह जयसमन्द की झील सन् 1687 ई. एवं इसकी प्रतिष्ठा समारोह सन् 1691 ई.।
महाराणा अमरसिंह दूसरा सन् 28 सितम्बर 1698–1710 ई.	जीवा जी शाह	सुखराम जी	अमरसिंह ने शासन प्रबन्ध हेतु जागीरदारों को स्थाई जागीरदारी प्रदान कर तीन दर्जों में विभाजित किया यथा प्रथम श्रेणी के जागीरदार 16, द्वितीय श्रेणी के जागीरदार 32 (बत्तीसा), तीसरी श्रेणी के सरदार गोल के सरदार कहलाए। गोसाईं हरनाथ गिरी (सवीना मठ) का चेला नीलकण्ठ गोसाईं राठौड़ दुर्गादास, अजितसिंह (जोधपुर नरेश) एवं जयपुर नरेश

			जयसिंह (सन् 1708 ई.) में उदयपुर उदयसागर झील के पास गाड़वा में रहे। बाद में अजित सिंह को कृष्ण विलास बाग (वर्तमान में सेन्ट्रल जेल, उदयपुर) एवं महाराणा जयसिंह को सर्वऋतु विलास में ठहराया था।
महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय सन् 1710–1734 ई.	बिहारी दास जी पंचोली	संतोषराम जी	महाराणा संग्राम सिंह के तीन पुत्र हुए। जिन्हें महाराज की पदवी दी गई। सबसे बड़े पुत्र महाराज नाथसिंह को बागौर, महाराज बाघसिंह को करजाली, महाराज अर्जुन सिंह को शिवरती ठिकाना दिया।
महाराणा जगतसिंह द्वितीय सन् 1734–1751 ई.	मोती राम जी बोलिया, देवकरण जी	नन्द राम जी राजपुरोहित	सनाढ्य ब्राह्मण हरबेन (हरिवंश) था। कानोड़ के रावत पृथ्वीसिंह सारंगदेवोत को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। 17 जुलाई, 1734 हुरड़ा सन्धि हुई। पेशवा बाजीराव का मेवाड़ में आगमन चम्पा बाग में ठहरा। महाराणा ने पेशवा को खिराज पेटे 1½ लाख रूपये वार्षिक दर से दस वर्षों तक देना स्वीकारा। बनेड़ा परगना की आय मराठों को देना स्वीकारा। कायस्थ भटनागर देवजी भी इस समय हुए। मिला धाबाई व माना धाबाई भी इस समय थे। इस समय महद्राज सभा व महकमा खास बनाए गए। महद्राज सभा में कुल 17 सदस्य रखे गए इसने इजलास सभा का स्थान लिया। इसके सचिव मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या बनाए गए व सदस्य

			राव तखतसिंह देवला, राव अर्जुनसिंह आसींद, बाबा गजसिंह शिवरती, राजा देवीसिंह ताणा, राजराणा फतहसिंह देलवाड़ा, ठाकर मनोहर सिंह सरदारगढ़, उदयसिंह कांकरवां, मामा बख्तातर सिंह राणावत, कवि राजा श्यामलदास, मेहता राय पन्नालाल, अर्जुनसिंह सहीवाला, मेहता तखतसिंह, पुरोहित पदमनाथ, पुरोहित ब्रजनाथ, जानी मुकुन्द लाल भरतपुर वाले।
महाराणा प्रतापसिंह द्वितीय सन् 1751–1754 ई.	अमरचन्द जी बड़वा	राम राय जी	शक्तावतों एवं चूण्डावतों में वैमनस्य; देवगढ़ का जसवन्त सिंह, शाहपुरा का उम्मेद सिंह, सनवाड़ का बाबा भरतसिंह, महाराणा के विरोधी बागौर के नाथ सिंह से मिलकर महाराणा प्रतापसिंह द्वितीय को पदचुत्य करने का कदम उठाया। जिसका लाभ उठाकर मराठों ने मेवाड़ पर निरन्तर आक्रमण किए।
महाराणा राजसिंह द्वितीय सन् 1754–1761 ई.	सदाराम जी पुरोहित, फतह चन्द जी	राम राय जी	मराठा नायक सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मेवाड़–मराठा संघर्ष। दरबार में सामन्तीय प्रतिस्पर्धा। प्रधान पद पर अमरचन्द बड़वा, अगरचन्द मेहता, मोतीराम जी बोलिया एवं एकलिंगदास जी बोलिया प्रशासन में सक्रिय
महाराणा अरिसिंह द्वितीय सन् 1761–1773 ई.	मोती राम जी बोलिया, एकलिंगदास जी बोलिया, अमर चन्द जी बड़वा	फतह राम जी	अगर चन्द मेहता सलाहकार शाहपुरा के जालिम सिंह भी सलाहकार बने। 13 जनवरी, 1769 उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी के पास युद्ध में मराठों का मुकाबला करते हुए सलुम्बर, शाहपुरा व बनेड़ा के प्रमुख मारे गए। कोटा के राजा जालिम सिंह झाला मेवाड़ के प्रधान अगरचन्द महाराजा अरिसिंह के साथ लड़ते हुए जख्मी हुए। इस युद्ध में

			मेवाड़ महाराणा के बागी रतनसिंह एवं उसके गुट को मराठा नायक महादजी सिन्धिया ने सहयोग किया।
महाराणा हम्मीरसिंह द्वितीय सन् 1773–1778 ई.	अमर चन्द जी बड़वा	फतह राम जी	सन् 1775 में अमर चन्द बड़वा ने महाराणा से अप्रसन्न होकर प्रधान पद से त्याग पत्र दिया। उसे बन्दी बनाया एवं जहर देकर मारा। यह कुकृत्य राजमाता की विश्वास पात्र रामप्यारी की सलाह से हुआ।
महाराणा भीमसिंह सन् 1778–1828 ई.	सतीदास जी गाँधी, सोमचन्द जी गाँधी, अगर चन्द जी मेहता, किशनदास जी पंचोली, शाह शिवलाल जी गलुण्डिया, मेहता देवीचन्द जी, राम सिंह जी मेहता, शेर सिंह जी मेहता सन् 1818 में रामसिंह मेहता को (चील जी मेहता	फतह राम जी	सेठ जोरावर मल बापना (पटवा), पूर्व में जैसलमेर के निवासी थे को महाराणा ने रावली दुकान (राजकीय बैंक) की स्थापना हेतु आज्ञा दी। मेवाड़ राज्य का आय–व्यय का ब्यौरा इस बैंक में रहता था। इनको सेठ की उपाधि दी। कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ का रेजिडेन्ट नियुक्त हुआ। बदनौर परगने का गाँव पारसोली की जागीरी प्रदान की। कर्नल टॉड ने इन्हें मेवाड़ राजकोष का प्रबन्धक नियुक्त किया। इनके परिवार में गुमान जी के पुत्र बहादुर मल, सवाई राम, मगनी राम, जोरावर मल, प्रताप भाई थे। 1818 ई. का कौलनामा जागीरदारों के बीच हुआ। जिसमें अजीत सिंह रावत सलुम्बर ने हस्ताक्षर किए। झाला जालिम सिंह कोटा का निवासी भी इसी समय मेवाड़ आया। आमीर खाँ पठान पिण्डारी भी इसी समय मेवाड़ आया जो बाद में टोंक का नवाब बना।

	परिवार) प्रधान बनाया जो पूर्व में माण्डल के किलेदार थे		मेहता देवीचन्द को जहाजपुर व माण्डल का किलेदार बनाया। पूर्व में रामसिंह मेहता थे। जिन्हें प्रधान बनाया। मेहता मालदास उस समय फौज बक्षी के पद पर थे और मराठों के मेवाड़ आक्रमण के समय हड़क्याखाल की लड़ाई में शहीद हुए। इनकी स्मृति में मालदास सेहरी बनी। प्रधान मेहता अगरचन्द का टोपल मगरी, कुम्भलगढ़ व हमीरगढ़ में मराठों से लड़े। अन्त में माण्डलगढ़ में निधन हुआ।
महाराणा जवानसिंह सन् 1828–1838 ई.	राम सिंह जी मेहता, शेर सिंह जी मेहता		मेवाड़ महाराणा व जागीरदारों के मध्य संशोधित कौलनामा कप्तान काब ने करवाया और दोनों तरफ से इस कौलनामा पर हस्ताक्षर करवाए सन् 1828 ई. में। इस समय गोगुन्दा के झाला लालसिंह, सलुम्बर के पदमसिंह रावत, कोठारिया के रावत जोधसिंह और आमेट रावत सालमसिंह इसी समय कर्नल टॉड अंग्रेज के रेजीडेन्ट थे। इसी समय देवीचन्द पंचोली मंत्री था। कैप्टन काब और कैप्टन सदरलैण्ड भी इसी समय था।
महाराणा सरदारसिंह सन् 1838–1842 ई.	शेर सिंह जी मेहता		सरदारसिंह के समय में भी पुराने कौलनामे में बदलाव किए गए और एक नया कौलनामा तैयार किया गया। इसमें निम्न जागीरदारों ने हस्ताक्षर किए – बेदला राव बख्त सिंह, सलुम्बर राव पदमसिंह, देवगढ़ के नाहरसिंह, भैंसरोड़गढ़ के रावत अमरसिंह, आसीन्द के रावत दुल्हेसिंह, आमेट के रावत सालिमसिंह और भीण्डर के महाराज हरिसिंह, कुराबड़ के रावत

			ईश्वरसिंह। नाथद्वारा के गोस्वामी ने इस समय स्वतन्त्र होने की कोशिश की और कर्नल स्पीयर्स के पास अपना वकील राधाकिशन दास को भेजा जिसे स्पीयर्स ने वापस लौटा दिया। नेपाल महाराजा राजेन्द्र विक्रम शाह को मेवाड़ महाराणा ने आमन्त्रित किया।
महाराणा स्वरूपसिंह सन् 1842–1861 ई.	शेर सिंह जी मेहता, मेहता गोकल चन्द जी, कोठारी केशरीसिंह जी		अंग्रेज रॉबिन्सन एजेन्ट था। सही वाला अर्जुन सिंह भी इसी समय हुए। इस समय पाणेरी गोपाल महाराणा का खासमखास था। जिसे धर्माध्यक्ष बनाया। इस समय स्वरूपशाही सिक्के जारी किए गए जो शुद्ध चाँदी के थे। जिसके एक तरफ चित्रकूट उदयपुर एवं दूसरी तरफ दोस्ती लन्दन अंकित था। सन् 1845 ई. में सरदारों की सहमती से नया कौलनामा तैयार किया गया। सलूम्बर से ''शरण'' व ''भाजगढ़'' के अधिकार वापस ले लिए गए। इस पर रावत केसरीसिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए। इस समय 1857 की क्रान्ति हुई। क्रान्ति के समय नीमच, नसीराबाद से अंग्रेज के परिवारों को जगमन्दिर में सुरक्षित ठहराया गया। इसमें अर्जुन सिंह साहीवाला, मेहता शेरसिंह, बेदला राव बख्त सिंह की देख–रेख थी।

			इसी समय रावली दुकान का मालिक केसरीसिंह कोठारी को बनाया गया। जो कि कोठारी छगनलाल पूर्व प्रबन्धक रावली दुकान का भाई है। चान्द मल जो जोरावर मल का बेटा था उसको रावली दुकान का मालिक बनाया गया। सिरे मल को राय बहादुर की उपाधि दी गई। इन्होंने महाराणा शंभुसिंह को गोद लिया।
महाराणा शंभुसिंह सन् 1861–1874 ई.	गोकल चन्द जी मेहता	पुरोहित श्यामनाथ	राज्य मंत्री परिषद् – बेदला राव बख्तसिंह, देवगढ़ रावत, रणजीत सिंह, भीण्डर महाराज, हमीर सिंह, भैंसरोड़गढ़ रावत अमरसिंह, गोगुन्दा के लालसिंह झाला, पूर्व प्रधान मेहता शेरसिंह, प्रधान कोठारी केसरीसिंह एवं पुरोहित श्यामनाथ 26 अप्रेल, 1862 को रिजेन्सी कौंसिल द्वारा सती प्रथा निषेध नियम की घोषणा की गई। महाराणा शंभूसिंह ने मेवाड़ के जागीरदारों को ''लंगर'' एवं ''तलवार बंधाई'' का विशेषाधिकार प्रदान किया।
महाराणा सज्जनसिंह सन् 1874–1884 ई.	केसरी सिंह जी कोठारी, गोकल चन्द जी मेहता	औंकार नाथ जी राजपुरोहित	– महाराणा सज्जनसिंह के शासन काल में प्रमुख ऐतिहासिक घरानों में मामा अमानसिंह जी, कविराजा श्यामलदास जी दधिवाडिया, कोठारी बलवन्त सिंह जी, राय मेहता पन्नालाल जी, सही वाला अर्जुन सिंह जी, मेहता तखतसिंह जी, पाणेरी उदयराम जी, पुरोहित पदमनाथ जी एवं प्राणनाथ जी, इतिहासकार पं. गौरीशंकर हीराचन्द जी ओझा, पुरातत्त्ववेत्ता अक्षयकीर्ति जी व्यास थे।

			– मामा अमान सिंह जी को महाराणा सज्जनसिंह जी ने वि.सं. 1934 में 150 रू. प्रतिमाह के वेतन पर अपने निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया। मामा अमान सिंह जी वि.सं. 1934 से 1974 तक अर्थात् 40 वर्षों तक मेवाड़ प्रशासन में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने भील विद्रोह को अपनी सूझबूझ से समाप्त किया। सज्जन निवास बाग, विक्टोरिया म्युजियम, भूपाल नोबल्स स्कूल की स्थापना, सज्जनगढ़ का निर्माण एवं ठिकाना बोहेड़ा एवं बागौर ठिकाना की पेचीदा विवादों को हल किया। मेवाड़ में रावली दुकान (बैंक) की स्थापना की। मामाजी मेवाड़ की फौज के कमाण्डर–इन–चीफ के पद पर रहे। – मेवाड़ रियासत में टकसाल से जारी किए जाने वाले स्वरूपशाही मुद्रा प्रचलन में ''दोस्ती लन्दन'' के मुकदमे को भारतीय ब्रिटिश सरकार और इंपीरीयल कोर्ट लंदन में भी मुकदमा लड़ा और अंत में मेवाड़ सरकार द्वारा जारी किए गए मुद्रा को मान्यता दिलाई। – महाराणा सज्जनसिंह, महाराणा फतहसिंह और महाराणा भूपालसिंह के रिजेन्ट और गार्डियन रहते हुए मामा अमान सिंह ने प्रशासन में चहुंमुखी विकास में योगदान दिया। इसीलिए उन्हें मेवाड़ का दुर्गादास कहा जाता है। – 20 अगस्त, 1880 को इजलास खास के स्थान पर महद्राज सभा की स्थापना हुई। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या इस

			सभा के सैक्रेटी और 17 अन्य सदस्य नामित किए। जिनमें 9 राजपूत जागीरदारों से और 8 अन्य वर्गों से लिए गए। जिनमें ब्राह्मण, जैन, चारण, कायस्थ वर्ग थे। महाराणा के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व का परिणाम था कि मेवाड़ रियासत में आधुनिकीकरण हुआ।
महाराणा फतहसिंह सन् 1884–1930 ई.	भाग चन्द जी मेहता, सुखदेव प्रसाद जी, कोठारी बलवन्त सिंह जी, मेहता राय पन्नालाल जी, मेहता शेपाल सिंह जी	संतोष लाल जी, देवीलाल जी, दयाल जी	– सन् 1928 में भाई हिम्मत सिंह शिवरती वायसराय इरविन की अगवानी में महाराणा फतहसिंह के साथ रेलवे स्टेशन पर गए। उनके साथ इस दल में 23 प्रमुख सरदार तथा दरबारी थे। जिनमें पंडित धर्मनारायण, पंचोली लक्ष्मीनाथ, पंचोली शोभानाथ, पुरोहित सुन्दरनाथ, मेहता फतहलाल, पुरोहित मथुरानाथ, पाण्डे चन्द्रनाथ थे। – महाराणा फतहसिंह 2 अक्टूबर, 1928 (वि.सं. 1985) आसोद विद 3 सोमे चम्पाबाग के नजदीक हस्तीमाता मन्दिर के पीछे गए और वहाँ नए स्कूल की स्थापना की जो बाद में महाराणा भूपाल कॉलेज में क्रमोन्नत हुआ। – महाराणा फतहसिंह के शासन काल (सन् 1885–1921 ई.) में मेवाड़ में आने वाले विशिष्ट विदेशी एवं देशी मेहमानों की सूची निम्नानुसार है – **विशिष्ट विदेशी मेहमानों का उदयपुर आगमन** – प्रिंस ऑफ वेल्स एवं उसकी पत्नि (जो बाद में इंग्लैण्ड का सम्राट बना), प्रिंस एल्बर्ट विक्टर, ड्यूक एवं डची कनॉट, भारत

			के वायसराय – लॉर्ड डफरिन (8 नवम्बर, 1885), लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एलगीन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिन्टो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड रै (बॉम्बे का गवर्नर), ग्रांट डफ (गवर्नर ऑफ मद्रास) तथा कमाण्डर इन चीफ – लॉर्ड रॉबर्टस, लॉर्ड किचनर, सर पावर पामर इत्यादि उदयपुर आए। **भारत के देशी राजा – महाराजा का उदयपुर आगमन –** महाराजा हरिसिंह (कश्मीर नरेश) 30 मार्च, ... उदयपुर आए उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। 4 अप्रेल, ... कश्मीर के लिए लौटे। 19 नवम्बर, 1902 को बड़ौदा के गायकवाड़ नरेश शियाजी राव, इन्दौर के महाराजा होल्कर नरेश, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बनारस, धौलपुर, किशनगढ़, नाभा कपूर्थला, मोरवी, लिम्बड़ी एवं ईडर के महाराजा आए। सन् 1887 में महारानी विक्टोरिया ने मेवाड़ महाराणा फतहसिंह को जी.सी.एस.आई. सम्मान प्रदान किया। किंग जॉर्ज ने महाराणा को जी.सी.आई.एफ. एवं जी.सी.वी.ओ. सम्मान प्रदान किया। व्यक्तिगत महाराणा को 21 तोपों की सलामी का अधिकार प्रदान किया। महारानी उदयपुर को ऑर्डर ऑफ क्राउन ऑफ इण्डिया का सम्मान दिया।

			महाराज कुमार भूपालसिंह को के.सी.आई.ई. से नवाजा गया। **सन्दर्भ** – बॉम्बे टाइम्स, उदयपुर (1885 ई. – 1921 ई.), ए रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस एण्ड डिवोटेड लॉयलटी दी क्राउन – संवत् 1985 चेत्र विद रविवार 21 मार्च, 1929 को कश्मीर के महाराजा हरिसिंह जी उदयपुर नगर में मेहमान के रूप में पधारे जिन्हें लक्ष्मीविलास राजकीय गेस्ट हाउस में ससम्मान ठहराया। दूसरे दिन स्वयं महाराणा फतहसिंह ने कश्मीर महाराजा को शंभू निवास पैलेस में आमन्त्रित किया और सुर–नार (सूअर व शेर) के शिकार पर ले गए।
महाराणा भूपालसिंह सन् 1930–1956 ई.	सुखदेव प्रसाद जी, टी. राघवाचार्य जी	गणेश जी, अमरलाल जी, भूपाल लाल जी	• 23 मई, 1947 प्रताप जयन्ती के अवसर पर मेवाड़ रियासत में के. एम. मुंशी की अध्यक्षता में निर्मित मेवाड़ का संविधान लागू हुआ। • फतह मेमोरियल एवं फतह हाई स्कूल, भूपाल नोबल्स स्कूल (1921 ई.), विद्या भवन संस्थान में विद्या भवन स्कूल (1931 ई.), रामगिरी बुनियादी स्कूल की स्थापना 1937 ई., कला संस्थान विद्या भवन सन् 1937 ई., सन् 1942 ई. में विद्या भवन गोविन्दराम सेकसरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना, महाराणा भूपाल चिकित्सालय की स्थापना, महाराणा संस्कृत महाविद्यालय, चांदपोल, महाराणा मदनमोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज, अम्बामाता, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना, महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी, उदयपुर नगर

			पालिका की स्थापना, भूपालपुरा कॉलोनी, भोपाल कॉपरेटिव सोसायटी, प्रताप नगर, उदयपुर हवाई अड्डा, प्रताप नगर, राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना सन् 1937 ई., चम्पा बाग परिसर में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की और इस हेतु चित्तौड़गढ़ में 1000 बीघा भूमि प्रदान की, राजस्थान भू विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना, मेवाड़ में देवस्थान विभाग का गठन कर उसके अन्तर्गत आने वाले देव स्थानों, मन्दिरों, स्मारकों और भूमि आदि का प्रबन्ध मण्डल, राजस्थान की रियासतों के भारत में विलीनीकरण में पहल करके भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। • 23 मार्च, 1948 को महाराणा भूपालसिंह जी द्वारा मेवाड़ रियासत को संयुक्त राजस्थान में विलीन करने की औपचारिक सूचना भारत सरकार को दी और 11 अप्रेल, 1948 को राजस्थान में विलय पत्र की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। • 18 अप्रेल, 1949 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उदयपुर में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन एवं महाराणा भूपालसिंह जी को राजप्रमुख और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया। इसी क्रम में महाराणा भूपालसिंह जी को राजस्थान राज्य का महाराज प्रमुख बनाया।

महाराणा भगवतसिंह सन् 1956–1984 ई.		योगेश चन्द्र जी	• उदयपुर को विश्व पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में पहुँचाने का श्रेय • राजस्थान में क्रिकेट को लाने का श्रेय • विश्व हिन्दू परिषद के प्रथम अध्यक्ष
महाराणा महेन्द्रसिंह / श्री जी अरविन्दसिंह सन् 1984 ई. – वर्तमान		भगवान लाल जी व उनके पुत्र चन्द्र प्रकाश जी	

परिशिष्ट – 2 – मेवाड़ के राजपुरोहितों की वंशावली

मेवाड़ के राजपुरोहित-वंशावली

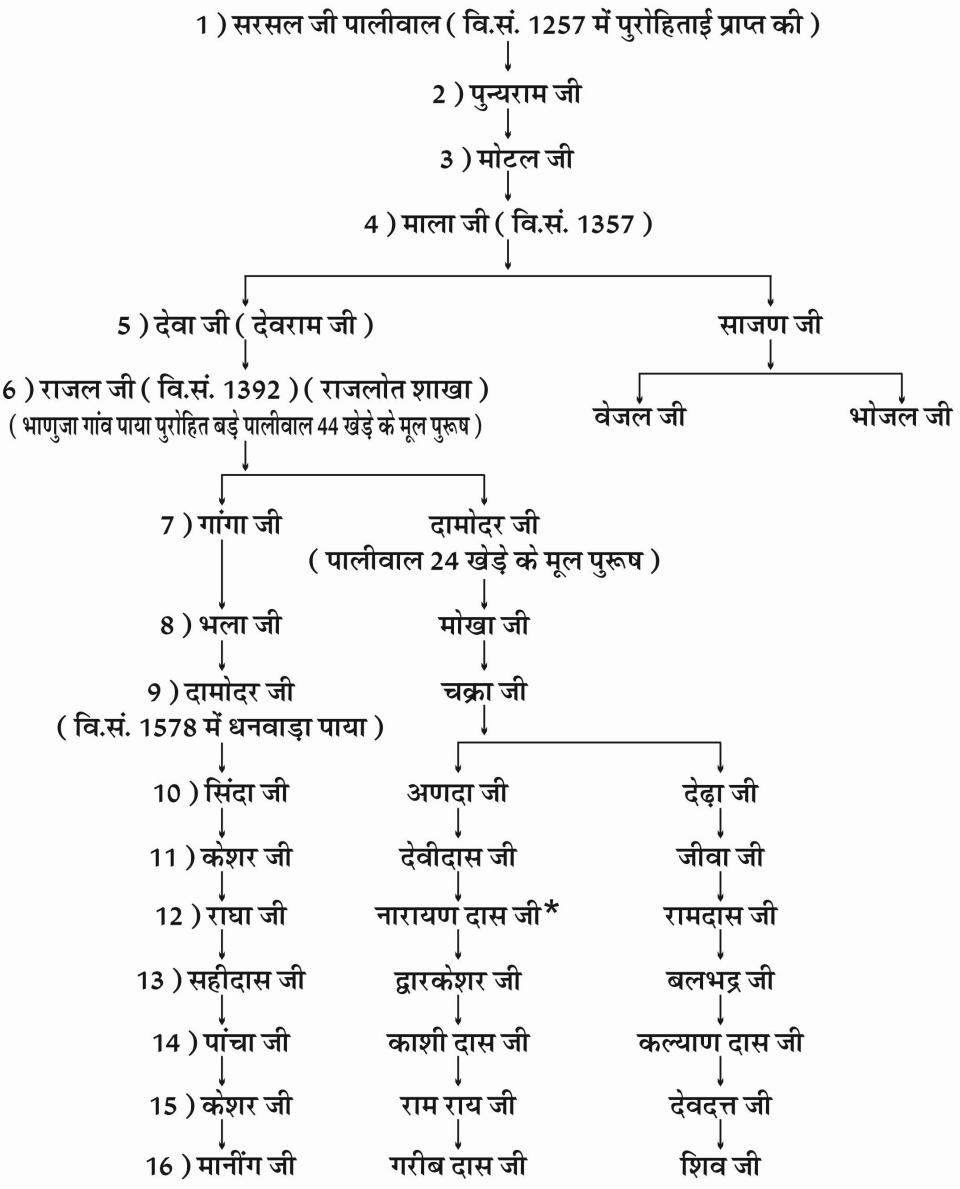

* मेवाड़ राज्य का संरक्षक पुरोहित नारायण दास 16वीं शताब्दी का ''दधीचि'', ''त्यागवीर'' पालीवाल जाति का प्रकाशमान उज्जवल नक्षत्र।

महाराणा उदयसिंह के कुंवर प्रताप एवं शक्तिसिंह के बीच शिकार को लेकर परस्पर हुए संघर्ष के दौरान नारायणदास ने बीच में पड़ कर प्राणोत्सर्ग किया। इस उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप ने पुरोहित नारायणदास के परिवार को वि.सं. 1628 में उदयपुर में बड़गांव का पट्टा दिया।

मेवाड़ के राजपुरोहित-वंशावली क्रमशः

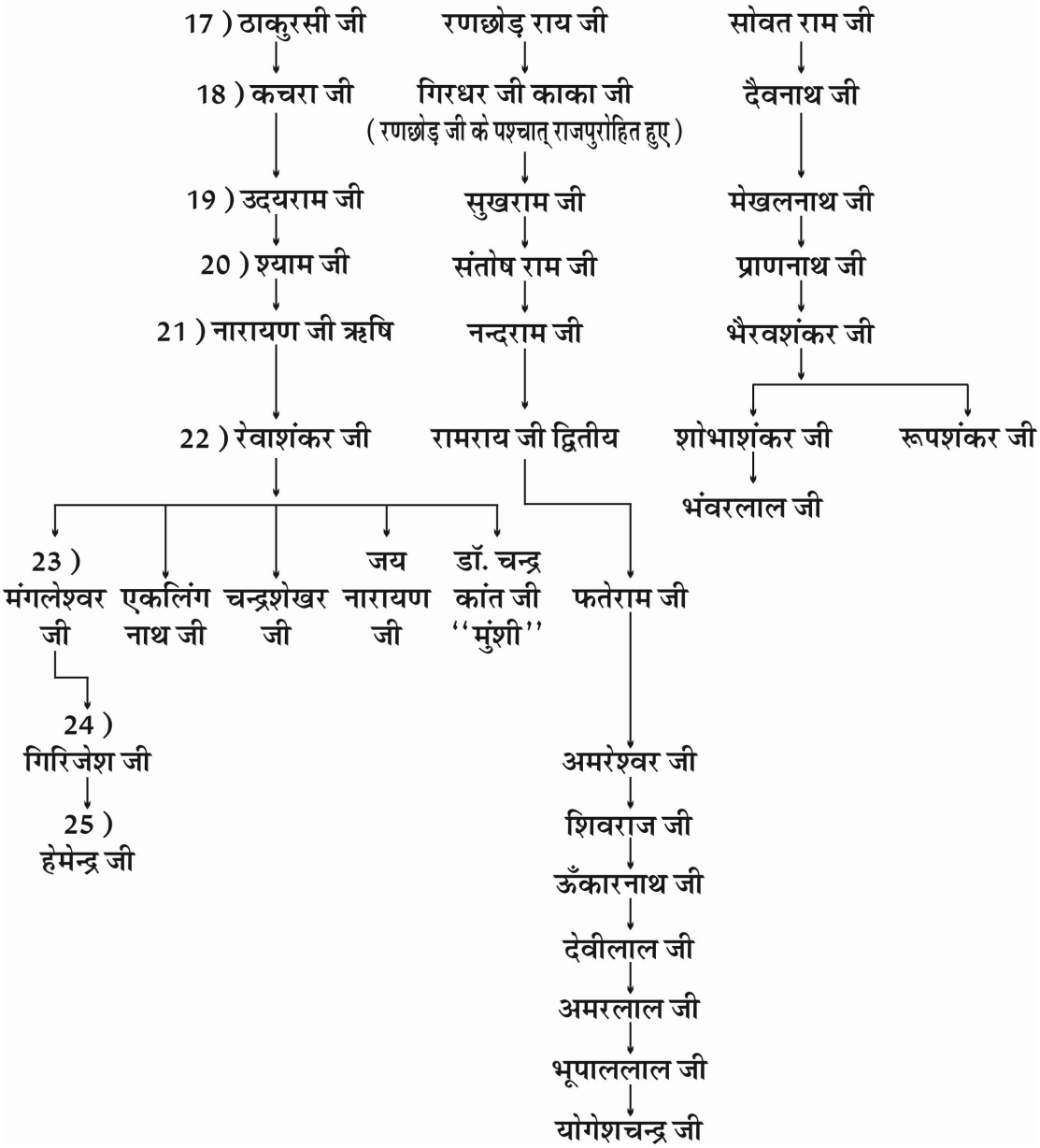

सन्दर्भ :– रा. वै. रेवाशंकर पुरोहित, आयुर्वेदाचार्य द्वारा लिखित – पालीवाल ब्राह्मण इतिहास (अथवा सरशल वंश प्रबोधनी), प्रथम संस्करण, वि. सं. 243, रामनवमी

परिशिष्ट – 3 – पानेरी घराने का सजरा

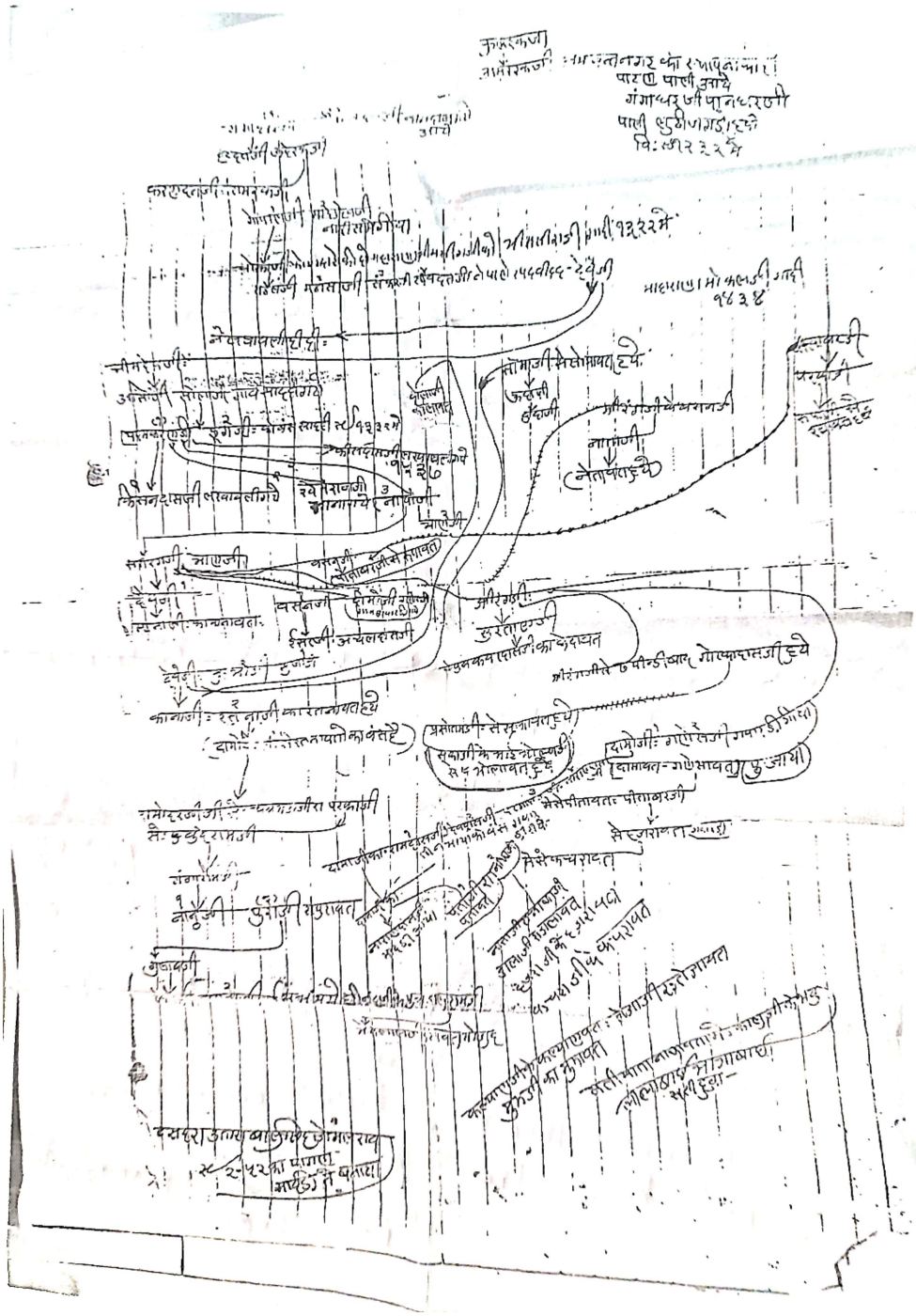

सन्दर्भ :– डॉ. जी. एल. मेनारिया, निदेशक तक्षशिला विद्यापीठ संस्थान, उदयपुर एवं डॉ. अजातशत्रु सिंह शिवरती, निदेशक शिवरती शोध संस्थान, उदयपुर से प्राप्त।

परिशिष्ट – 4 – मेवाड़ रियासत का संविधान

217 B

॥ श्रीएकलिङ्गोविजयते ॥

शोध कार्य हेतु जारी

THE Constitution of Mewar

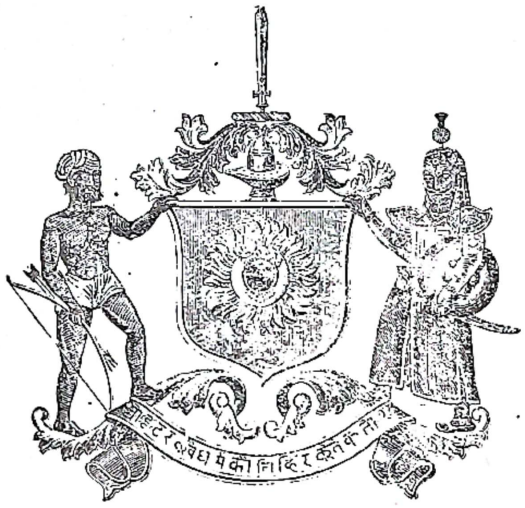

PROMULGATED

by

Major General Maharajadhiraj Maharana
Shri Sir Bhupal Singhji Sahib Bahadur
G. C. S. I. K. C. I. E. of Udaipur.

On 23rd May, 1947.

राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर

Printed by Mr. D. V. Shivahare, B. A., LL. B., Manager,
at the Govt. Printing Press, Udaipur.

Price As. 8/-

सन्दर्भ :– राजस्थान राज्य अभिलेखागार, शाखा उदयपुर

परिशिष्ट – 5 – नक्शा जागीरात राज्य मेवाड़ वि.सं. 1907 (ई.सन् 1850)

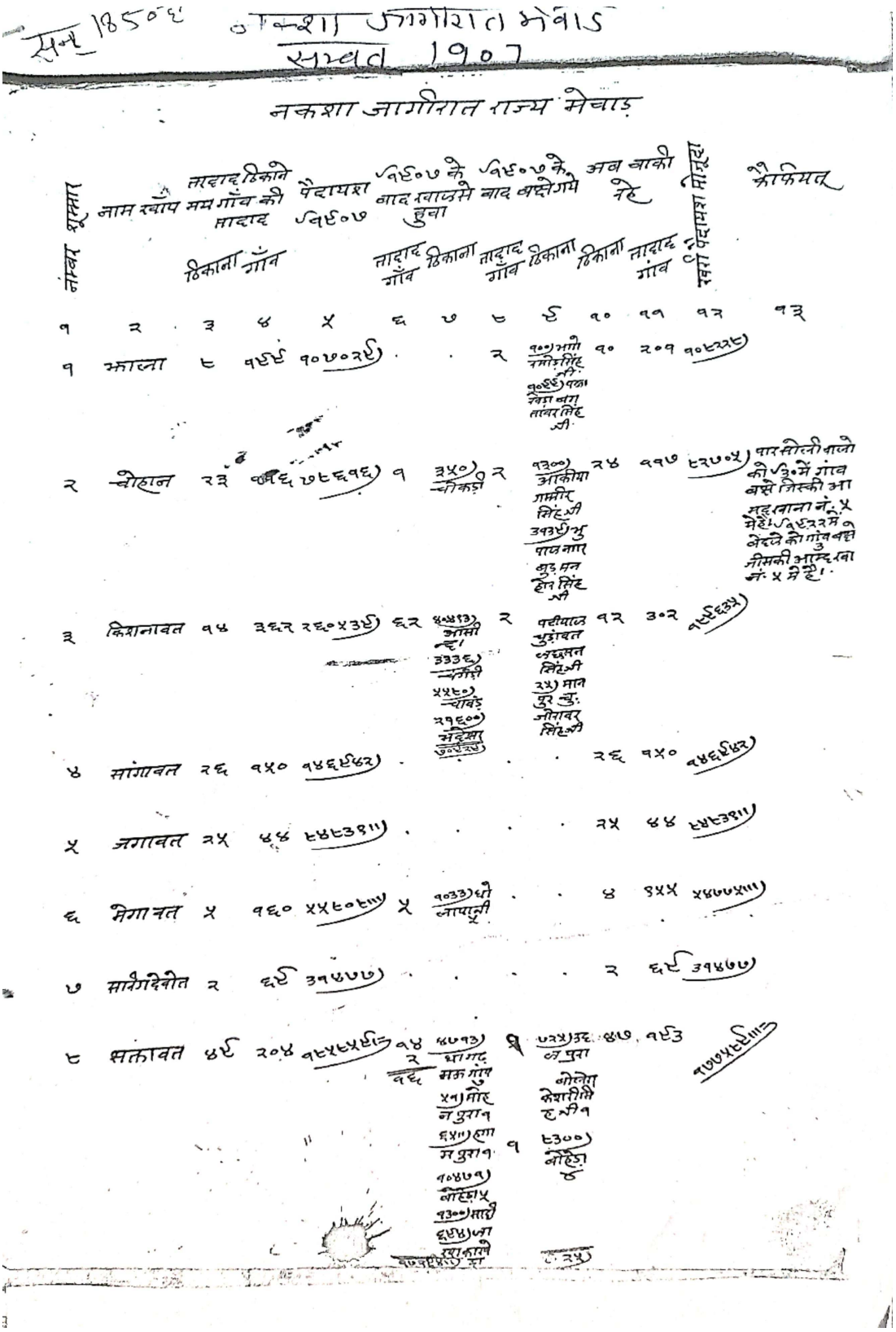

सन् 1850 ई नक्शा जागीरात मेवाड़
सम्वत 1907

नक्शा जागीरात राज्य मेवाड़

नम्बर शुमार	नाम खांप	तादाद ठिकाने मय गाँव की तादाद: ठिकाना	गाँव	पैदायश १९०७	१९०७ के बाद खालसे हुवा: तादाद गाँव	ठिकाना	१९०७ के बाद बख्शे गये: तादाद गाँव	ठिकाना	अब बाकी रहे: ठिकाना	तादाद गांव	रेख पैदायश मौजूदा	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	झाला	८	१९९	१०७०२९)	.	.	२	१००) भाली नमोड़सिंह जी १०९९) पला नेवा बगा तावर सिंह जी	१०	२०१	१०९२२९)	
२	चौहान	२३	११६	७८६९६)	१	३५०) चौकड़ी	२	१३००) आकोला गम्भीर सिंह जी ३१३९) भुपालनगर बुड़मन हेत सिंह जी	२४	११७	८२७०५)	पारसोली वालो की १९३० में गांव बख्से जिस्की आमदखाना नं. ५ में है। १९२२ में १ बेदले को गांव बख्से जीसकी आमदखाना नं. ५ में है।
३	किशनावत	१४	३६२	२६०५३९)	६२	४०४१३) आसीन्द ३३३६) बनेड़ी ५५८०) चावंड २१६००) मदेसा ७०९२५)	२	परीयाल चुंडावत लछमन सिंह जी २५) मानपुर चुं. जोरावर सिंह जी	१२	३०२	१९९६३५)	
४	सांगावत	२६	१५०	१४६९९४२)	.		.	.	२६	१५०	१४६९९४२)	
५	जगावत	२५	४४	८४८३९॥)	.	.	.	.	२५	४४	८४८३९॥)	
६	मेगावत	५	१६०	५५८०८॥)	५	१०३३) धोलापानी	.	.	४	१५५	५४७७५॥)	
७	सारंगदेवोत	२	६९	३१४७७)	.	.	.	.	२	६९	३१४७७)	
८	सक्तावत	४९	२०४	१८५८५९=)	१४ २ / १६	४७१३) धागद मऊ गांव ५१) मोरनपुरा १ ६५॥) हामरपुरा १ १०४७१) बोहेड़ा ५ १३००) मादरी ६९४) [illegible] ७७३९॥) सा	१ / १	७२५) उदयपुरा बोलेरा केशरीसिंह जी १ ८३००) बोहेड़ा ८ ... ८२५)	४७	१९३	१७७५८९॥=)	

नकशा ऊमरावान व दिगर जागीरदारान जिनके चाकरी के बजाय नकद मुकर्रिर नहीं हुवे

नम्बर शुमार	नाम ठिकाना	हाल पैदायश	
१	२	३	४
	(ऊमरावान)		
१	शिवरती	६३७१।।।)	
२	करजाली	१४७१०)	
	दीगर जागीरदारान		
३	कासीराम का खेड़ा	४१)	✓
४	कजवल	६५२)	✓
५	कानजी का गुड़ा	५००)	✓
६	खातनर माला	६००)	+ [illegible]
७	गेंद लिया	२५००)	
८	गोराणा	१५००)	
९	दगणका	२२५)	+ [illegible]
१०	टीकावत	३००)	+ [illegible]
११	पीपल्या	३५२६०)	+ [illegible]
१६	परशाद	१०००)	

१३

(Margin note: [illegible])

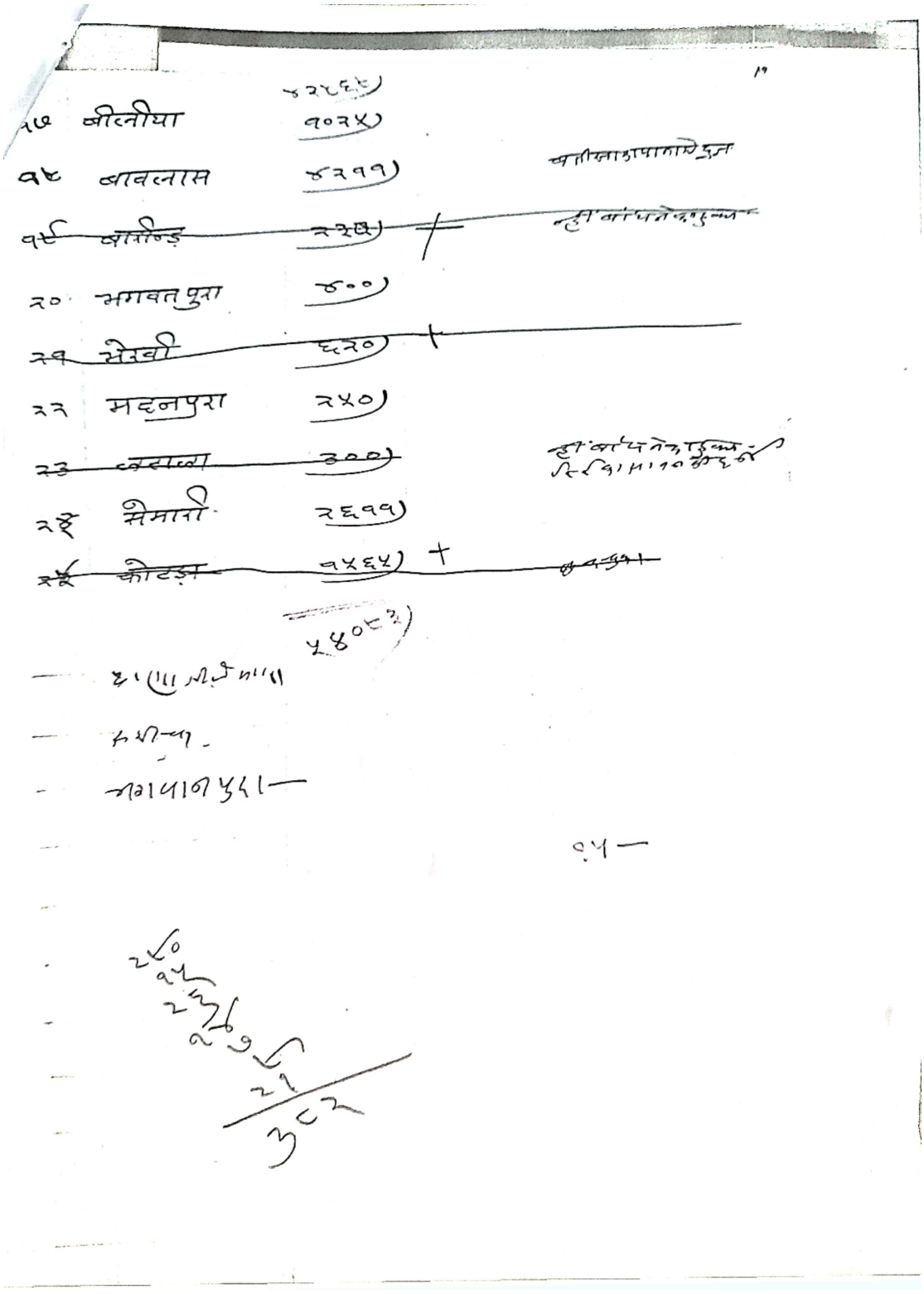

सन्दर्भ :– राजस्थान राज्य अभिलेखागार, शाखा उदयपुर

परिशिष्ट – 6 – महाराणा फतहसिंह कालीन मेवाड़ रेजीडेन्ट्स सन् 1884 से 1930 तक की सूची

परिशिष्ट ५

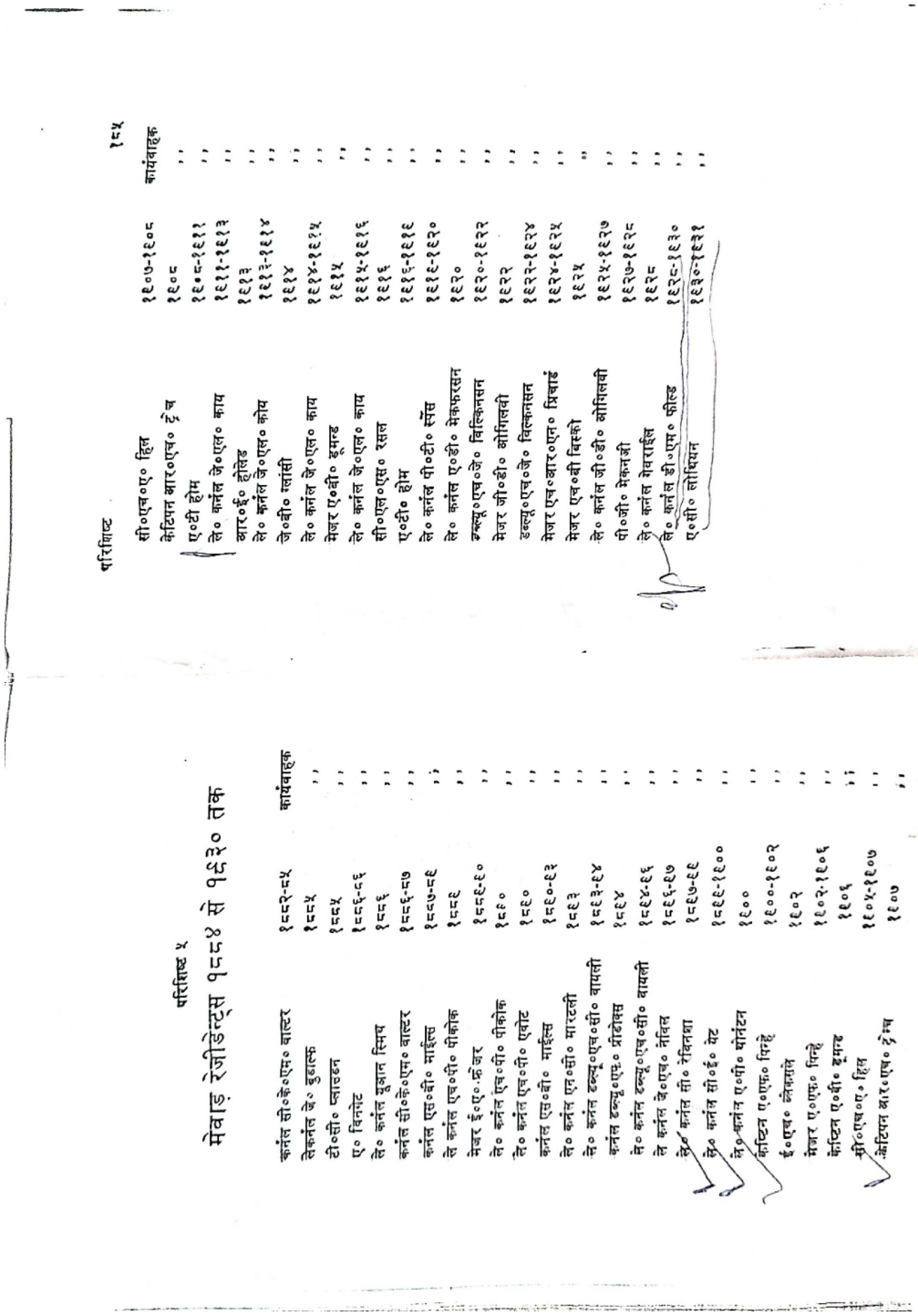

मेवाड़ रेजीडेन्ट्स १८८४ से १९३० तक

कर्नल सी०के०एम० वाल्टर	१८८२-८५	कार्यवाहक
लेकर्नल जे० बुडाल्फ	१८८५	,,
टी०सी० प्लाउडन	१८८५	,,
ए० विनगेट	१८८६-८६	,,
ले० कर्नल यूआन स्मिथ	१८८६	,,
कर्नल सी०के०एम० वाल्टर	१८८६-८७	,,
कर्नल एस०बी० माईल्स	१८८७-८६	,,
ले कर्नल एच०पी० पीकोक	१८८६	,,
मेजर ई०ए० फ्रेजर	१८८६-९०	,,
ले० कर्नल एच०पी० पीकोक	१८९०	,,
ले० कर्नल एच०पी० एवोट	१८९०	,,
कर्नल एस०बी० माईल्स	१८९०-९२	,,
ले० कर्नल एन०सी० मारटली	१८९३	,,
ले० कर्नल डब्ल्यू०एच०सी० वायली	१८९३-९४	,,
कर्नल डब्ल्यू०एफ० प्रीडोक्स	१८९४	,,
ले० कर्नल डब्ल्यू०एच०सी० वायली	१८९४-९६	,,
ले कर्नल जे०एच० नेविल	१८९६-९७	,,
ले० कर्नल सी० रेविनशा	१८९७-९९	,,
ले० कर्नल सी०ई० येट	१८९९-१९००	,,
ले० कर्नल ए०पी० थोर्नटन	१९००	,,
केप्टिन ए०एफ० पिन्हे	१९००-१९०२	,,
ई०एच० ब्लेकसले	१९०२	,,
मेजर ए०एफ० पिन्हे	१९०२-१९०६	,,
केप्टिन ए०बी० डूमन्ड	१९०६	,,
सी०एच०ए० हिल	१९०५-१९०७	,,
केटिपन आर०एच० ट्रेन्च	१९०७	,,

सी०एच०ए० हिल	१९०७-१९०८	कार्यवाहक
केटिपन आर०एच० ट्रेंच	१९०८	,,
ए०टी होम	१९०८-१९११	,,
ले० कर्नल जे०एल० काय	१९११-१९१३	,,
आर०ई० होलेंड	१९१३	,,
ले० कर्नल जे०एल० कोय	१९१३-१९१४	,,
जे०बी० ग्लांसी	१९१४	,,
ले० कर्नल जे०एल० काय	१९१४-१९१५	,,
मेजर ए०बी० डूमन्ड	१९१५	,,
ले० कर्नल जे०एल० काय	१९१५-१९१६	,,
सी०एल०एस० रसल	१९१६	,,
ए०टी० होम	१९१६-१९१९	,,
ले० कर्नल पी०टी० स्पेंस	१९१९-१९२०	,,
ले० कर्नल ए०डी० मेकफरसन	१९२०	,,
डब्ल्यू०एच०जे० विल्किनसन	१९२०-१९२२	,,
मेजर जी०डी० ओगिलवी	१९२२	,,
डब्ल्यू०एच०जे० विल्कनसन	१९२२-१९२४	,,
मेजर एच०आर०एन० प्रिचार्ड	१९२४-१९२५	,,
मेजर एच०बी बिस्को	१९२५	,,
ले० कर्नल जी०डी० ओगिलवी	१९२५-१९२७	,,
पी०जी० मेकनजी	१९२७-१९२८	,,
ले० कर्नल गेवराईल	१९२८	,,
ले० कर्नल डी०एम० फील्ड	१९२८-१९३०	,,
ए०सी० लोथियन	१९३०-१९३१	,,

सन्दर्भ :– महाराणा फतहसिंह जी और उनका काल (1884–1930 ई.), लेखक लक्ष्मी अग्रवाल, प्रथम संस्करण 1993, परिशिष्ट 5, पृ. 184–185

परिशिष्ट – 7 – महाराणा फतहसिंह कालीन भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय सन् 1884 से 1930 तक की सूची

परिशिष्ट ६

भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय, १८८४ से १९३० तक

लार्ड	रिपन	१८८०-१८८४
,,	डफरीन	१८८४-१८८८
,,	लेन्सडाउन	१८८८-१८९३
,,	एल्गिन (द्वितीय)	१८९४-१८९९
,,	कर्जन	१८९९-१९०४
,,	एम्पटहील	१९०४
,,	कर्जन (पुनः नियुक्त)	१९०४-१९०५
,,	मिण्टो	१९०५-१९१०
,,	हार्डिग्ज	१९१०-१९१६
,,	चेम्सफोर्ड	१९१६-१९२१
,,	रीडिग	१९२१-१९२६
,,	इर्विन	१९२६-१९३१

सन्दर्भ :– पुस्तक – महाराणा फतहसिंह जी और उनका काल (1884–1930 ई.), लेखक लक्ष्मी अग्रवाल, प्रथम संस्करण 1993, परिशिष्ट 6, पृ. 186

परिशिष्ट – 8 – ठिकाना परसाद (रियासत मेवाड़) की वंशावली

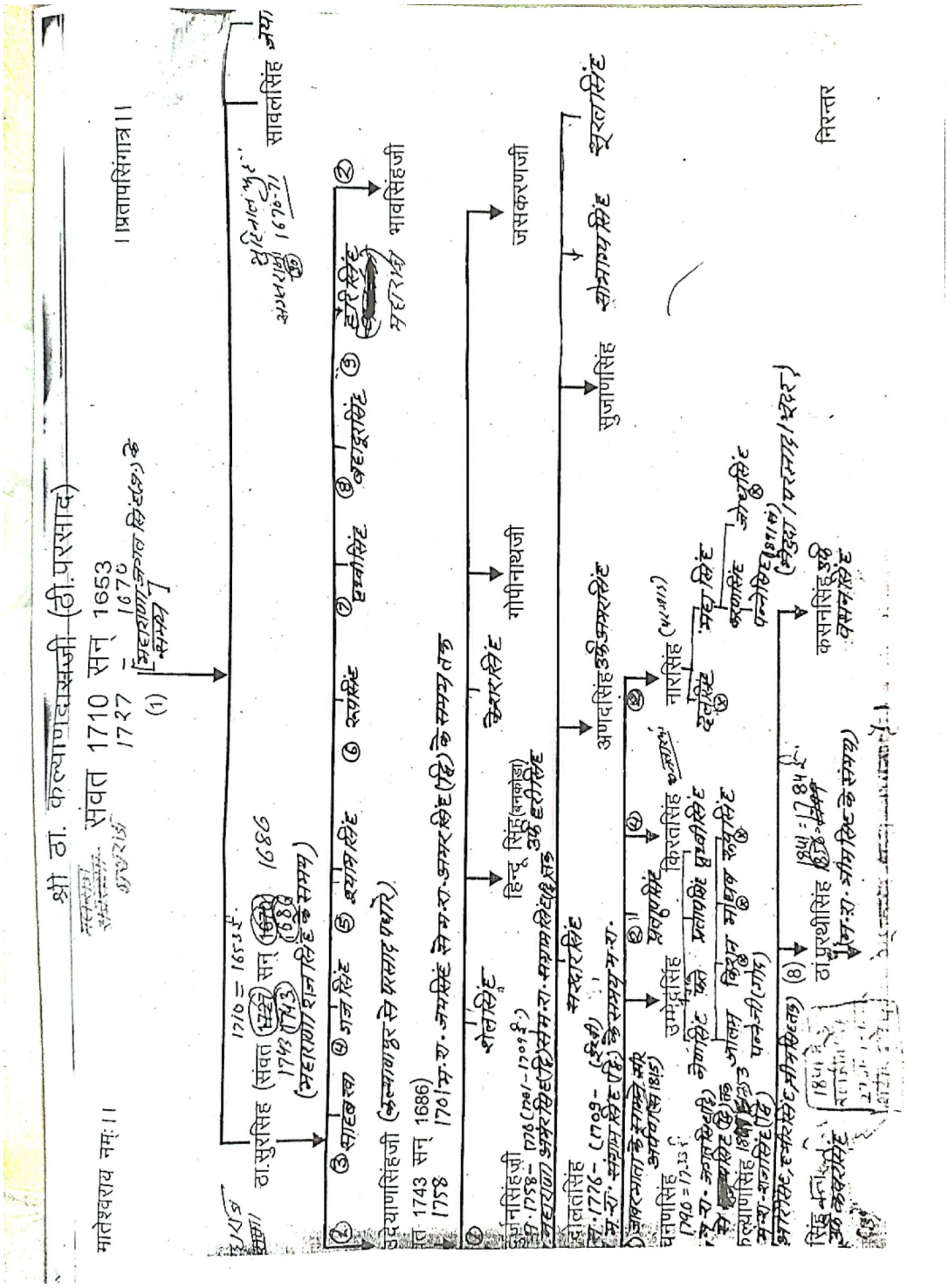

सन्दर्भ :– रतनसिंह जी एवं मोहन सिंह जी राणावत रिटायर्ड अध्यापक के निजी संग्रह से

परिशिष्ट – 9 – महाराणा भूपालसिंह जी का राज्यारोहण दरबार का दृश्य

सन्दर्भ :– द सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर – पेंटिंग ऑफ मेवाड़ कोर्ट लाईफ, लेखक एण्ड्रू टॉप्सफिल्ड

परिशिष्ट – 10 – मेवाड़ महाराणा के शिविर (कैम्प) की बैठक व्यवस्था

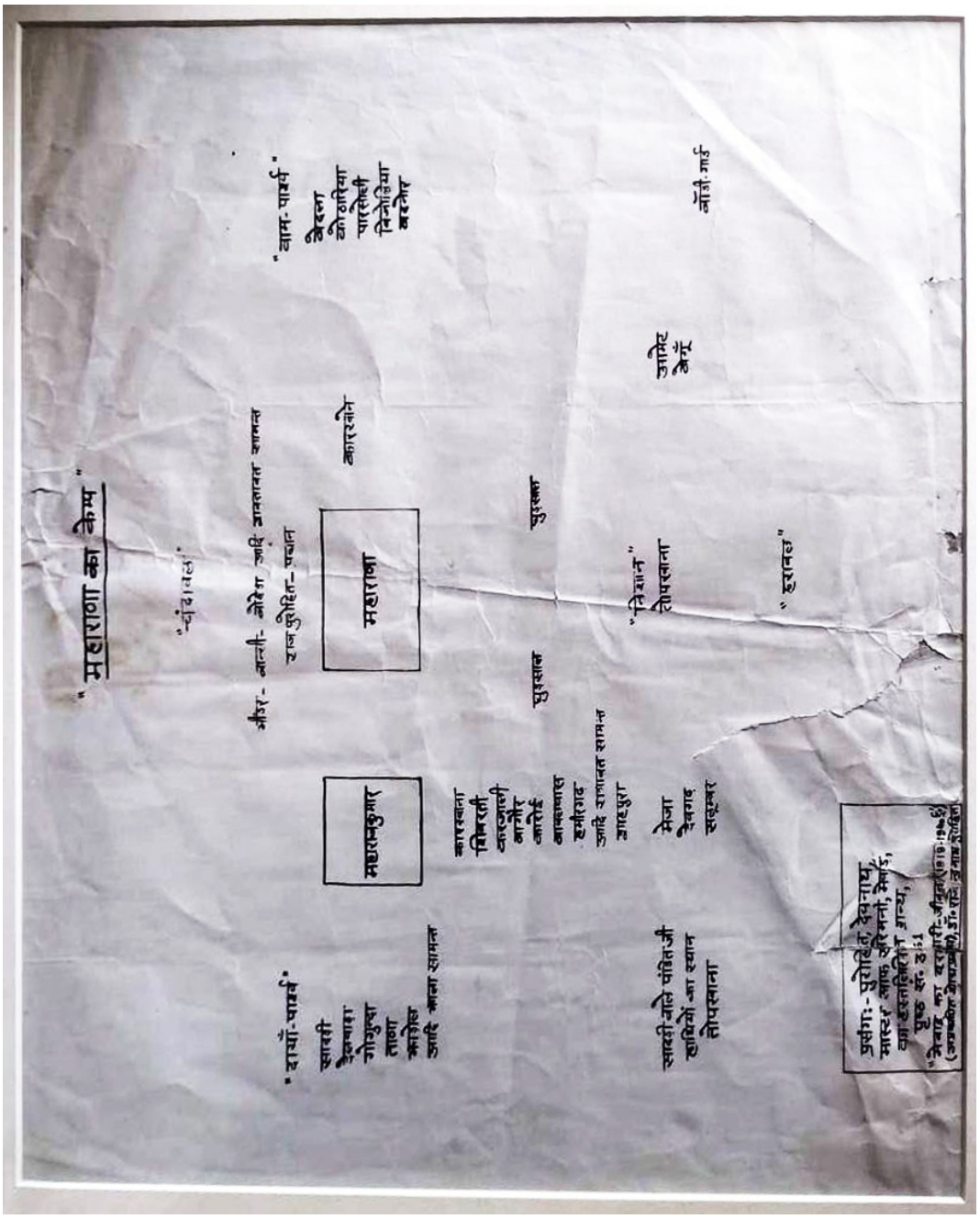

सन्दर्भ :– मेवाड़ का दरबारी जीवन (1818–1940 ई.), अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, डॉ. राजेन्द्रनाथ पुरोहित (प्रसंग – पुरोहित देवनाथ, मास्टर ऑफ सेरेमनी मेवाड़, का हस्तलिखित ग्रन्थ)

परिशिष्ट – 11 – महाराज साहब श्री शिवदानसिंह जी की तस्वीर मय लवाजमा वि.सं. 1994

परिशिष्ट – 12 – दसरावा का दरीखाना को तरीको